आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

अक्तूबर 2022

क्रान्ति

मासिक



शराब 'नीति' के शोर में विलुप्त होता 'बंदी' का विमर्श

ALMANAR SOCIAL SERVICE

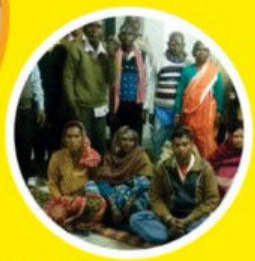
MEDICAL WING

Jharna Road, Near Eidgah Maidan, Azad Nagar, Mango Jamshedpur, Ph. : 9955127184, 9431961077

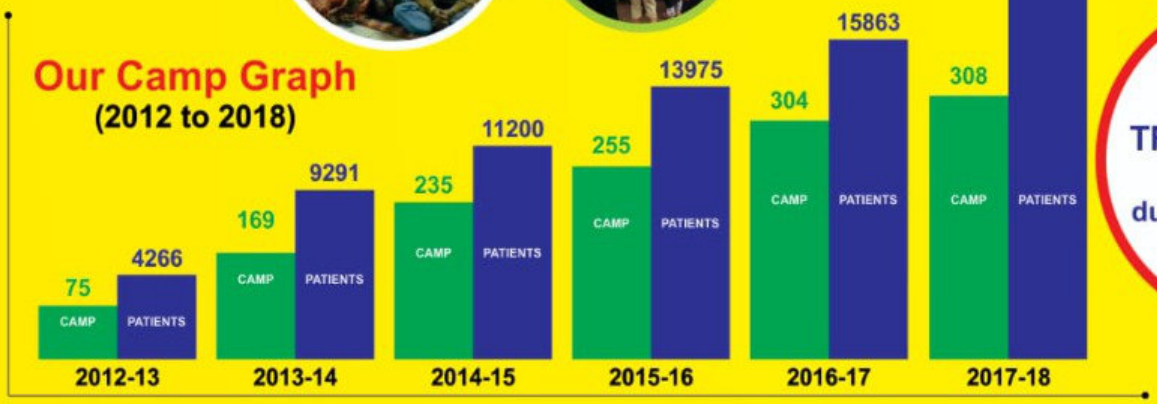
Regn. No. 61/09 & Recipient of 12A 80G of IT Act

in Association with **D.M. Foundation Human Welfare Foundation**



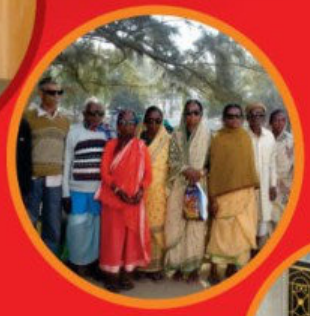


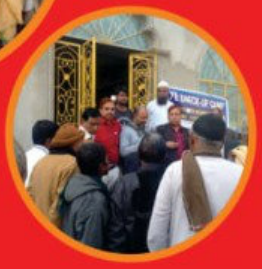




No. of **FREE TREATMENT** **19788** during the year 2017-18







No. of **FREE EYE SURGERY** **168** during the year 2017-18

Kindly Donate Here

Bank Account Number - 2960101012252 | Canara Bank | IFSC-CNRB0002960

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

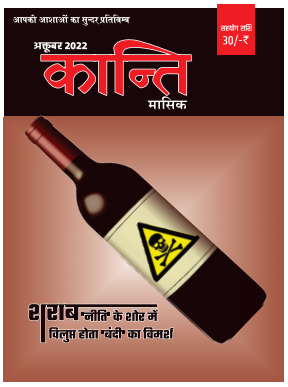
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 04 अक्तूबर 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

अतिथि संपादकीय 04
सच्चा मार्गदर्शक
कर्नल सतीश वर्मा

चिंतन 07
मानवतावाद का स्रोत
डॉ॰ रफ़ीक़ अहमद

सौंदर्य बोध 11
बौद्धिक विकास के कारक
एस॰ अमीनुल हसन

मुख्य स्तंभ 13
शराब 'नीति' के शोर में विलुप्त होता 'बंदी' का विमर्श
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 17
ख़तरा बनता नशे का धंधा
अभिषेक कुमार सिंह

समाधान 19
शराबबंदी की सफलता का मूलाधार
मौलाना अबुल्लैस नदवी

कविता 22
हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए
दुष्यंत कुमार

विशेष आयोजन 24
क़ुरआन : सबके लिए
डॉ॰ फ़रहत हुसैन, मुशर्रफ़ अली

लघुकथा 27
वीर की उपाधि
असग़र वजाहत

ज्वलंत 29
न्याय एवं नारीत्व का अपमान
डॉ॰ प्रदीप कुमार

समसामयिक 33
निशुल्क सुविधाओं को 'मुफ़्त रेवड़ी' कहना एक जनकल्याणकारी राज्य का अपमान
संपादन प्रभाग

मंथन 35
बेलगाम प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति
जितेंद्र गौतम

राजनीति 37
भ्रष्टाचारी विपक्ष?
ज़ईमुद्दीन अहमद

गांधी ज्यंती पर विशेष 41
भारत-भावना के प्रतीक
नईम अलहिन्दी

कहानी 45
नशा
मुंशी प्रेमचन्द

आख़िरी पन्ना 49
मनुष्य की अभिलाषा
वहीदुद्दीन ख़ां

अतिथि
संपादकीय





सच्चा मार्गदर्शक

ग़लतफ़हमियां अनेक होती हैं, पर पढ़े-लिखे इन्सान का फ़र्ज़ बनता है कि सच्चाई तलाशे तथा समझ और ज्ञान को समझे। मुश्किल इस बात की है कि आज का सभ्य इन्सान खोजी कम और अफ़वाहों पर अपने विचार बनाकर ख़ुद को ज्ञानी समझने लगता है। इस्लाम के अध्ययन के साथ भी यह समस्या है।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अन्य धर्मों से इतर क़ुरआन बार-बार यह दोहराता है कि अंधकार तथा सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास को छोड़कर सच्चाई को देखो-समझो और सत्य को जीवन में अमल में लाओ। ईश्वर अपने पैग़म्बर के मारफ़त क़ुरआन में यह उद्बोधन कर दोहराता है कि क्या तुम्हारी आंखें नहीं है?

दुनिया में चारों तरफ़ फैली हज़ारों मिसालें एवं ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सच्चाई बयां कर रही हैं, फिर तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? तुम क्यों नहीं सत्य पर चलते? क़ुरआन का मूल संदेश है उठो जागो! प्रेम, सत्यता और एक ईश्वर को मानो। किसी को उसका साझी मत ठहराओ। मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगो जो बहुत रहम वाला, सुनने वाला तथा क्षमा करने वाला है। पूरे क़ुरआन में यह शिक्षा बार-बार दोहराई गई है।

इस आधार को दृष्टि में रखकर हमें थोड़ा प्रयास कर क़ुरआन को समझना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि इस्लाम 'धर्म' के पारिभाषिक अर्थ का नाम नहीं है। सरल शब्दों में कहें कि इस्लाम एक आदर्श जीवन पद्धति है जो हमें सीधा, सच्चा, निर्भीक, कर्तव्य परायण और आदर्श नागरिक बनाकर ईश्वर की कृपा या अनुग्रह के योग्य बनाकर सफल जीवन जीने का मौक़ा देता है। क़ुरआन फिलोसफ़ी की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह पुस्तक ईश्वर का संदेश है जो इन्सान से प्रेम के कारण उसे शैतान और नरक से बचाकर आनंद से भरपूर जीवन जीने का अवसर देती है।

यदि हम क़ुरआन को संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि क़ुरआन की सूरतों (अध्यायों) को पाठन की दृष्टि से सात प्रवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें कुल 114 अध्याय हैं। सूरह अल-फ़ातिहा (1) से सूरह अल-माइदा (1) तक पहला प्रवर्ग है। इसमें वैसे तो ऐसा लगता है कि एक ही बात बार-बार दोहराई जा रही है, जबकि ध्यान से पढ़ने पर छिपा भाव चमत्कारिक रूप से प्रकट होता है। पहली सूरह में एक ईश्वर एवं आख़िरत (परलोक) तथा पैग़म्बर और पैग़म्बरी का उल्लेख मिलता है तथा सूरह पांच (अल-माइदा) तक हमें



कर्नल सतीश वर्मा

जीवन की कुछ समस्याओं और उन पर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है।

सूरह आले इमरान में आज्ञापालन तथा सूरह अन-निसा में नारियों के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख विस्तार से मिलता है। वास्तव में पूरे जीवन का सार है तथा नारियों के अधिकार, उनके सामाजिक मूल्य व महत्व पर ज़ोर देकर, आज के आदर्श समाज व आदर्श संहिता का उल्लेख या कहें कि सामाजिक नियमावली भी दी गई है ताकि दुनिया में अमन-चैन क़ायम हो। क़ुरआन स्त्रियों के अधिकारों और अनाथों की रक्षा पर बहुत ज़ोर देता है। मानव समाज में प्रचलित विभिन्न आचार संहिताओं में क़ुरआन ही एक ऐसी आचार संहिता है जो सर्वकालीन तथा सार्वजनीन है।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि लंदन की ''लिंकन इन'' जैसे विश्वविख्यात क़ानून के कॉलेज के मुख्य द्वार पर विश्व के प्रसिद्ध क़ानून वेत्ताओं के नाम लिखे हैं, जिनमें हज़रत मुहम्मद साहब का नाम सबसे ऊपर लिखा है। सूरह अल-माइदा का विषय ईश्वरीय क़ानून की पूरी पाबंदी है।

सूरह अल-अनआम (6) से सूरह अत-तौबा (9) तक दूसरे प्रवर्ग की सूरतें हैं, जो तौहीद (एकेश्वरवाद) से संबंधित है। सूरह यूनुस (10) से सूरह अन-नूर (24) तक तीसरा प्रवर्ग है, जिसमें विभिन्न पैग़म्बरों के बारे में उल्लेख मिलता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में बताया गया कि तुम केवल संदेशवाहक हो। ईमान वालों को शुभ संदेश दिया गया है।

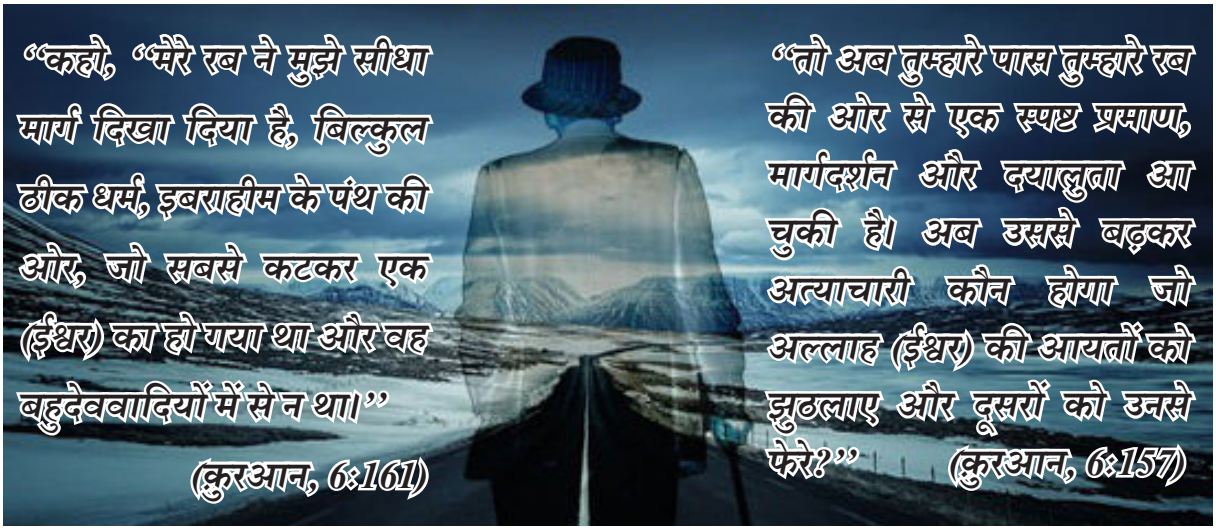
तीसरे प्रवर्ग में सूरह यूनुस से लेकर सूरह अन-नूर आती है, जिसमें धैर्य तथा ईशपरायणता के साथ एकेश्वरवाद पर शिक्षाएं हैं। इस प्रवर्ग में एकेश्वरवाद के लिए आंतरिक त्याग पर ज़ोर दिया गया है। सूरह अल-फ़ुरकान (25) से लेकर सूरह अल-अहज़ाब (33) तक चौथा प्रवर्ग है, जिसमें ईश्वर की दया और कृपा का विस्तृत वर्णन है। इसमें ईशपरायणता पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है।

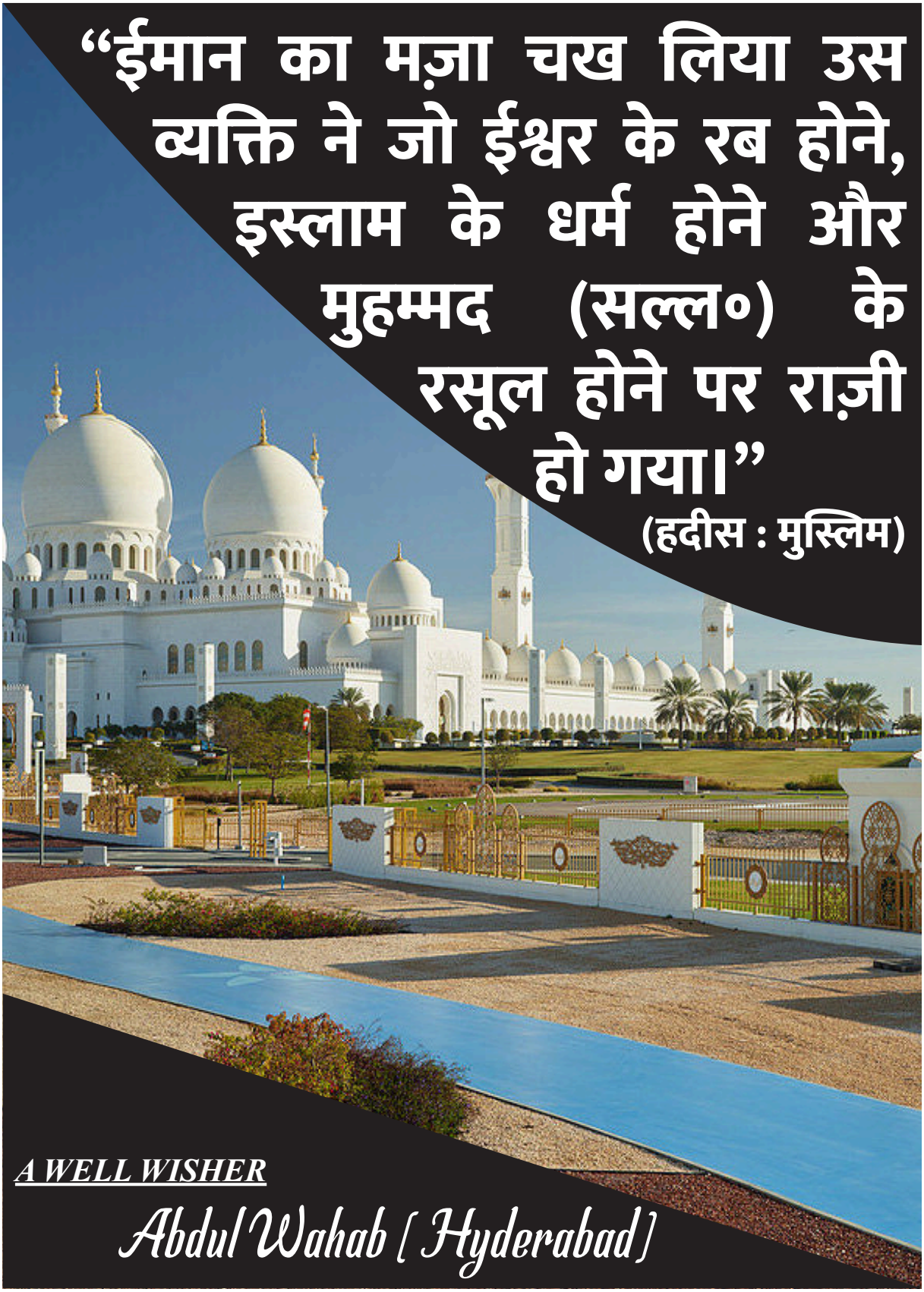
सूरह सबा (34) से लेकर सूरह अल-हुजुरात (49) तक पांचवा प्रवर्ग है, जिसमें एकेश्वरवाद तथा प्रलय की पुष्टि की गई है तथा आदर्श जीवन पद्धति समझाई गई है। सूरह क़ाफ़ (50) से लेकर सूरह अत-तहरीम तक छठा प्रवर्ग है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर ही हमारा संरक्षक व मित्र है।

सूरह अल-मुल्क (67) से लेकर सूरह अन-नास (114) तक सातवां प्रवर्ग पूरा होता है। इसमें जीवन के हर पहलू लेन-देन, सामाजिक आचार-विचार, क़ानून का पालन तथा शासन पद्धति पर शिक्षाएं हैं। इसके अलावा पूरा क़ुरआन हमें परलोक के बारे में बताते हुए कहता है कि, 'प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ज़िम्मेदार है' अतः भलाई पर चलने पर ज़ोर देता है ताकि हम आनंद से भरपूर रहें। क़ुरआन में ज्ञान पर ज़ोर देते हुए ज्ञान-विज्ञान, आर्थिक व्यवस्था और राजनीति पर भी चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि ईश्वर इसमें केवल संदेश ही नहीं दे रहा, बल्कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन में इसे उतारकर हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर एक सभ्य समाज तथा उच्च सभ्यता को दर्शा कर हमें हमारे निर्णय पर आगाह करता है।

सार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि क़ुरआन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए और उसे समझने का प्रयास किया जाए तो वह चमत्कारिक रूप से मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शन करता है।

■■




“ईमान का मज़ा चख लिया उस व्यक्ति ने जो ईश्वर के रब होने, इस्लाम के धर्म होने और मुहम्मद (सल्ल०) के रसूल होने पर राज़ी हो गया।”
(हदीस : मुस्लिम)
A WELL WISHER
Abdul Wahab [Hyderabad]

मानवतावाद का स्रोत

चिंतन



डॉ. रफ़ीक़ अहमद

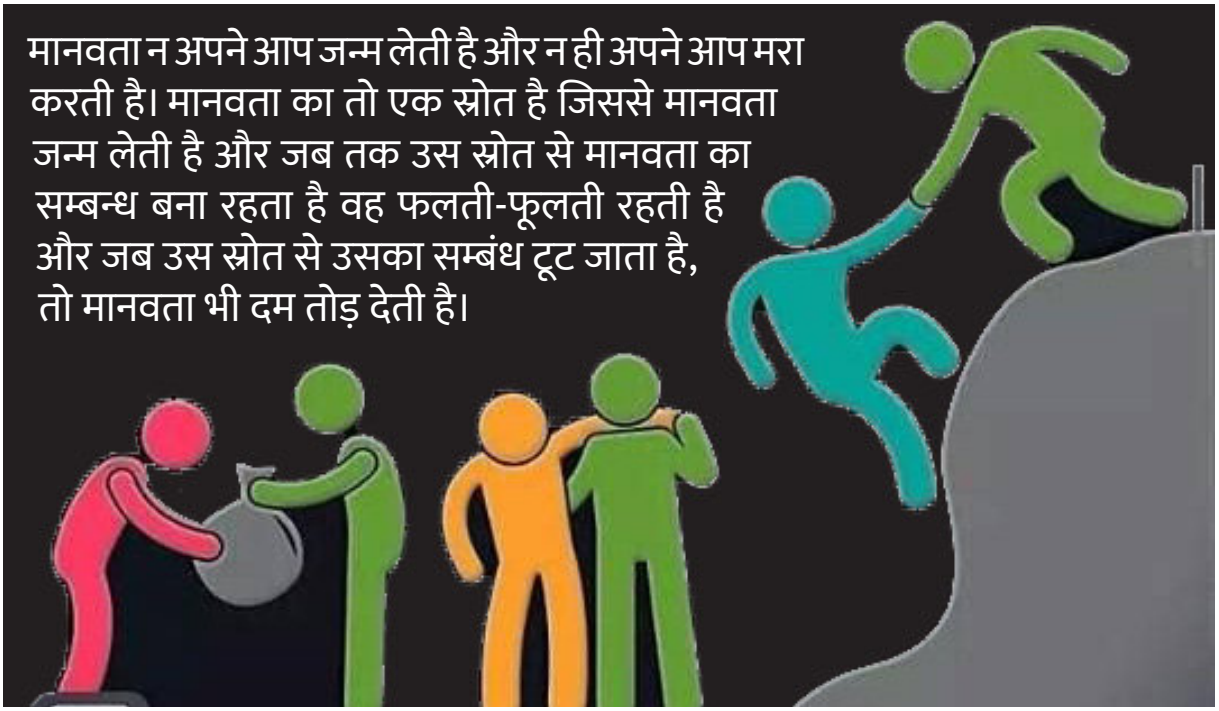
वर्तमान काल में हम जिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, वे अत्यन्त जटिल और भयावह हैं। इन्सानों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति स्वार्थ और धन लोलुपता के जाल में फंसा हुआ है। समाज में हिंसा, हत्या, वासना, बलात्कार, ईर्ष्या, द्वेष और भोगवादी मनोवृत्ति का वर्चस्व है। जबकि वास्तविकता यह है कि स्वार्थ, वासना और धन-दौलत से आदमी की भूख थोड़े समय के लिए तो मिट जाती है परन्तु उससे मन को स्थायी सुख-चैन और आराम व सुकून प्राप्त होने वाला नहीं है।

चूंकि इन्सान ईश्वर के प्रति वास्तविक प्रेम और उसके सामीप्य की चाह से वंचित है, इसलिए वह जीवन के मौलिक आनन्द और सुख से वंचित है। सच्ची मानवता से वंचित है। आज जिस इन्सान को ईश्वर का सच्चा बन्दा होना चाहिए था, वह दौलत का पुजारी और अपनी मनोकामनाओं का दास बना हुआ है। वह नहीं जानता कि स्थायी सुख-चैन और आराम व सुकून धार्मिक शिक्षाओं में ही निहित है। संसार में समय-समय पर मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए महापुरुषों तथा ईशदूतों का आविर्भाव होता रहा है। जिन्होंने अपनी असीम निष्ठा, दूरदर्शिता, ईश्वर पर अटूट विश्वास, तपस्या और उपासना से मानव समाज का मार्गदर्शन एवं कल्याण किया।

सभ्य मानव समाज के निर्माण और शांति की स्थापना में उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का बड़ा योगदान है। उनके एहसानों से मानवता कभी मुक्त नहीं हो सकती। उन महान विभूतियों में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का स्थान अग्रणी है। उनकी विश्व-बन्धुत्व, समता, समानता और शान्ति एवं भाईचारे के सन्देशों ने इन्सानों के दिलों को प्रकाशमान किया और समस्त मानव जाति से प्रेम और उनकी सेवा तथा मानवीय श्रेष्ठता पर सबसे अधिक बल दिया, परन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि उनके असीम योगदान और सहयोग को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है।

ईशदूत, सन्देष्टा एवं सद्पुरुष ईश्वर की दया और उसकी असीम कृपा के पात्र हैं, जो प्रत्येक काल एवं देश में ईश्वर की ओर से लोगों को मानवता का संदेश देने तथा लोगों को सच्चे रास्ते पर चलाने हेतु आते रहे।

दोस्तो! आम हालात में जब जीवन सरिता शान्तिपूर्वक बह रही हो, तो प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार के सुख एवं शान्ति का अनुभव करता है, क्योंकि भूतल में छिपी हुई गन्दगी और मलतत्व



उसकी आंखों से ओझल रहते हैं। ऊपर का साफ़ एवं स्वच्छ जल नीचे बैठी हुई गन्दगियों को जानने का अवसर नहीं देता, परन्तु जब नदी में तूफ़ान उठता है, तो उथल-पुथल के कारण नीचे की गन्दगियां उभर कर धरातल पर बहने लग जाती हैं। उस समय अन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंखों से उनका अवलोकन कर सकता है कि इस जल में क्या-क्या बह रहा है।

यही वह समय होता है कि मानव उस उद्गम का पता लगाए जहां से गन्दगियां आ रही हैं। इनका स्रोत क्या है? और इन स्रोतों को बंद करने का उपाय सोचे। यदि इस असाधारण अवस्था में भी वह चैन से बैठा रहे, सुख का अनुभव करता रहे, खाओ, पियो और मौज उड़ाओ का जीवन व्यतीत करता रहे, तो समझ लेना चाहिए कि वह मानव के रूप में दानव है, उसको मानवजाति से कोई प्रेम नहीं है, उसे मानवता से कोई लगाव नहीं है, वह तो एक पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है।

दोस्तो! आज जिस युग में हम आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें विषम मलतत्व उभर कर सामने आ गए हैं। राष्ट्रों तथा जातियों के बीच घोर संघर्ष है। अधिकतर राष्ट्र घृणित अवगुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्याय, क्रूरता, निर्दयता, अत्याचार, झूठ, छल-कपट, मिथ्या, भ्रष्टाचार, निर्लज्जता, वचन-भंग, कामवासना, बलात्कार और ऐसे ही अपराध आज मात्र व्यक्तिगत अपराध नहीं रहे बल्कि राष्ट्रीय आचरण एवं नीति का रूप धारण कर रहे हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र नफ़रत की ज्वाला में जल रहा है। मानव, दानव बन चुका है। मात्र धन के लिए पुत्र अपने पिता का, पुत्री अपनी माता का और भाई अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं।

आज मानवजाति के अभूतपूर्व प्रगति कर लेने के बावजूद चारों ओर अशान्ति, अव्यवस्था और अनैतिकता का साम्राज्य है। एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को संदिग्ध दृष्टि से देख रहे हैं। आज के इस कथित आधुनिक युग में मानव ने अपनी मानवता खो दी है।

आज मानवजाति पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ग्लानि के भयानक जाल में फंसी हुई है। न उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, न ही अपने लक्ष्य का, न उसे अपनी अवनति पर खेद है, न दुष्कर्म पर आत्म-ग्लानि। मानव की इस पशुता एवं दानवता पर कैसे रोक लगाई जाए? इसका निवारण कैसे किया जाए? कभी हमने एक क्षण के लिए भी इन भयानक परिस्थितियों पर विचार किया कि इस अमानवीय प्रवृत्ति का कारण क्या है। बन्धुवर! इसका एक मात्र कारण यह है कि मानव भौतिकवादी हो गया है। उसका धर्म से तनिक भी संबंध नहीं रहा। वह अपने पालनहार को भूल चुका है। उसका हृदय सदैव सांसारिक भोग-विलास में डूबा रहता है।

दोस्तो! मानवता न अपने आप जन्म लेती है और न ही अपने आप मरा करती है। मानवता का तो एक स्रोत है

जिससे मानवता जन्म लेती है और जब तक उस स्रोत से मानवता का सम्बन्ध बना रहता है वह फलती-फूलती रहती है और जब उस स्रोत से उसका सम्बंध टूट जाता है, तो मानवता भी दम तोड़ देती है। वह स्रोत क्या है? धार्मिक विश्वास ही मानवता का स्रोत है और भौतिकवादी प्रवृत्ति दानवता का। धार्मिक विश्वास यह है कि इस सृष्टि का एक जन्मदाता एवं पालनहार है और यह विश्वास है कि ईश्वर मानव जीवन के पथ-प्रदर्शन हेतु प्रत्येक जाति एवं देश में अपना सन्देष्टा भेजता रहा है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर मानव सफल जीवन व्यतीत कर सकता है।

दूसरा विश्वास यह है कि इस जीवन के पश्चात एक दूसरा जीवन भी है, जहां ईश्वर पूर्ण जीवन के क्रियाकलापों का हिसाब लेगा और कर्मों के आधार पर पुरस्कृत एवं दंडित करेगा। यही विश्वास ही मानवता का आधार है। इसी विश्वास से ही मानवता पैदा हो सकती है और जीवित रह सकती है।

कर्मफल पर विश्वास, परलोक पर विश्वास व्यक्ति के अन्दर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है और इसी एहसास के अनुसार जो जीवन होगा वही मानवता का जीवन होगा। वह उचित एवं अनुचित का ख़्याल रखेगा। न्याय एवं अन्याय का ख़्याल रखेगा। ईमानदारी एवं बेईमानी का ख़्याल रखेगा वह रिश्वत लेते हुए, ग़बन करते हुए, किसी का माल हड़पते हुए तथा अशान्ति एवं फ़साद फैलाते हुए डरेगा। वह ज़ुल्म एवं अत्याचार करते हुए डरेगा। उसका जीवन 'ख़ुदा रुख़ी' (ईश्वर-युक्त) होगा 'ख़ुद रुखी' (स्वपोषी) नहीं होगा। वह अपने आपको ईश्वर के आदेशों के समक्ष बिछा देगा।

इसके विपरीत जब एक व्यक्ति का यह विश्वास हो जाए कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईशदूत पथ-प्रदर्शन हेतु नहीं आया, इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं है, जहां कर्मानुसार फल मिलेगा। खाओ, पियो और मौज उड़ाओ यही जीवन का लक्ष्य है, जो कि भौतिकवादी विचारधारा की देन है। यह सिद्धान्त या विश्वास मानव को दानव क्यों न बना दे? वह क्यों न पशु बन जाएगा? वह क्यों उचित एवं अनुचित को मानेगा? वह अपना लक्ष्य अत्याचार से, बेईमानी से, रिश्वत से, ग़बन से, अन्याय से क्यों न

ईश्वर कर्मों के आधार पर पुरस्कृत एवं दंडित करेगा। यही विश्वास ही मानवता का आधार हैं। इसी विश्वास से ही मानवता पैदा हो सकती है और जीवित रह सकती है। कर्मफल पर विश्वास, परलोक पर विश्वास व्यक्ति के अन्दर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है और इसी एहसास के अनुसार जो जीवन होगा वही मानवता का जीवन होगा।

पूरा करेगा? कौन है, जो उसकी बुराइयों को रोक दे?

आज सारे संसार में भौतिकवाद का बोलबाला है और इसी भौतिकवाद के नतीजे में पाशविकता ज़ोर पकड़ती जा रही है। आज का युग, ऐसा प्रतीत होता है कि असत्य का युग है। हर जगह असत्य विराजमान है इसका कारण धार्मिक अज्ञानता और धर्म की प्रभावहीनता है। धर्म ही सिखाता है कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, विहित क्या और वर्जित क्या है। आज धर्म सत्ताहीन है और भौतिकवाद सत्तावान है। क़ानून की किताबें मानव को पूर्ण रूप से बुराई से नहीं रोक सकतीं। बुराई तभी रुक सकती है, जब मानव की सोच बदल जाए। उसके अन्दर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाए। इस संसार में उसका क्या स्थान है, यह मालूम हो जाए और यह सब तभी सम्भव है जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाए।

कहने का आशय यह है कि धर्म ही मानवता की शिक्षा दे सकता है। संसार के प्रत्येक धर्म एवं जीवन सिद्धान्तों में दूसरी बातों को लेकर तो मतभेद हो सकता है, परन्तु मानवता एवं नैतिकता के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। प्रत्येक धर्म में इस बात का उपदेश मिलता है कि मानव को नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। नैतिकता या मानवता समस्त धर्मों की अमूल्य पूंजी है। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार और स्वार्थ जैसे भयानक रोगों से मुक्त होना और सत्यवादिता, सदाचारिता, सत्यनिष्ठा और शालीनता जैसे गुणों से परिपूर्ण होना, छोटों से प्रेम एवं स्नेह तथा बड़ों का आदर करना, निर्बलों को सहारा देना, अनाथों एवं विधवाओं की मदद करना, ग़रीबों और मुहताजों के काम आना, लोगों के अधिकारों को पूरा करना, अत्याचारियों को अत्याचार एवं अन्याय से रोकना एवं पीड़ितों का साथ देना, ये वे श्रेष्ठतम नैतिक मूल्य हैं जिनके बारे में धर्मों के बीच कोई मतभेद नहीं है, ये समस्त धर्मों की शिक्षाओं के प्रमुख अंश हैं। इन शिक्षाओं के बिना धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

भाईयो! जब तक मानव भौतिकवाद के बजाए ईश्वरवाद को न अपनाएगा, मानवता जीवित नहीं हो सकती। जो चीज़ अपने जीवन-स्रोत से अलग हो जाए वह जीवित नहीं रह सकती। यदि उसको जीवित करना है, तो उसे उसके जीवन स्रोत से पुनः जोड़ना होगा। ■■

''जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी घमंड होगा।''

एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप (सल्ल.) ने कहा, ''अल्लाह सौंदर्यवान है और सौंदर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो सत्य के मुक़ाबले में इतराने और लोगों को हेय दृष्टि से देखने का नाम है।''

(हदीस : मुस्लिम)

ISLAMIC CENTRE VELLORE

सौंदर्य बोध



एस. अमीनुल हसन

बौद्धिक विकास के कारक



इन्सान जब इस दुनिया में आता है तो वह एक शरीर, बुद्धि और एक आंतरिक व्यक्तित्व, आत्मा को लेकर आता है। शारीरिक विकास तो ख़ुद-ब-ख़ुद होता है, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए कुछ करना पड़ता है। शिक्षा के ज़रिये इन्सान दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करता है। दुनिया घूमने-फिरने और यात्रा करने से भी बहुत कुछ सीखता है। समाज का अध्ययन करने से भी उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होता है।

बौद्धिक विकास, या बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? इन्सान अपने आस-पास की दुनिया पर ग़ौर करे और सवाल उठाने की योग्यता पैदा करे। सवाल खड़े करने के बाद सवालों के जवाब देने की योग्यता पैदा करे और जबाव को पाने के लिए सीखने की योग्यता पैदा करे। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। आमतौर पर हमें जीवन के चार कार्यक्षेत्रों में बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है। दूसरे नम्बर पर हमारा घरेलू जीवन है। तीसरा हमारा आर्थिक जीवन और चौथे नम्बर पर हमारा सामाजिक जीवन होता है।

मैं एक अच्छा इन्सान कैसे बनूं? यह एक व्यक्तिगत सवाल है और इस पर यदि मैं अध्ययन और विचार-विमर्श करने लगूं तो मेरी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। यह मेरे आत्मावलोकन से संबंधित प्रश्न है। मैं एक अच्छा पिता कैसे बनूं? एक अच्छा व्यापारी कैसे बनूं? मैं ख़ुदा का एक अच्छा बंदा कैसे बनूं? इस्लाम ने किन विषयों पर हमारा मार्गदर्शन किया है? ये ऐसे कार्य हैं जो व्यक्तिगत जीवन में हमारी बुद्धिमत्ता का विकास करते हैं।

इसी प्रकार घरेलू जीवन में हमें कैसे रहना है? दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बच्चों की सही शिक्षा और प्रशिक्षण कैसे हो? ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं और इनका जवाब हमें खोजना होता है। इसी प्रकार से हमारा आर्थिक जीवन है, यहां भी बहुत से सवाल और प्रबंधन से



बौद्धिक विकास, या बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? इन्सान अपने आस-पास की दुनिया पर ग़ौर करे और सवाल उठाने की योग्यता पैदा करे। सवाल खड़े करने के बाद सवालों के जवाब देने की योग्यता पैदा करे और जबाव को पाने के लिए सीखने की योग्याता पैदा करे। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं।

जुड़ी समस्याएं आती हैं। यहां भी रास्ते खोजने होते हैं और समाधान निकालना होता है।

जिस समाज में हम रहते हैं वहां आए दिन कठिनाइयां और समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं। समस्याओं का एक अंबार है जो लगा हुआ है। हमारे मन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा देश ऐसे ही चलेगा? हमारे देश की जटिल समस्याएं क्या हैं? इस स्थिति के लिए कौन ज़िम्मेदार है? देश की आज़ादी के जो सत्तर साल हमें मिले उसे हमने कैसे इस्तेमाल किया? यहां आर्थिक तंगी और बेरोज़गारी की समस्या है। यहां महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। यहां दलितों से संबंधित समस्याएं हैं। अब जब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो यहां से निकलने की राहें क्या हैं? कैसे हम इस देश में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर व्यक्ति विचार-विमर्श करता है।

फिर इससे बड़े और प्रश्न हैं। यह संसार कैसे बना? इस संसार को किसने बनाया? यह संसार कब तक चलेगा? कब समाप्त हो जाएगा? कौन इसे चलाता है? हम कहां से आए हैं? इस दुनिया में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मरने के बाद हमें कहां जाना है? ये और उच्च स्तर के प्रश्न हैं। इस तरह

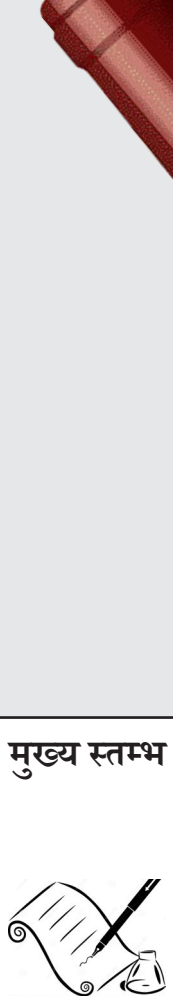
हमारे लिए यह ज़रूरी है कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सुना और प्रशिक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी हमने जाना, उसके आधार पर अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठाएं। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीक़े से प्रयास करना चाहिए।

के जो प्रश्न हमारे मन-मस्तिष्क में उभरते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर, उनके जवाब या समाधान खोजने के लिए हमें अध्ययन और आकलन करने की आवश्यकता है। विचार-विमर्श और परिचर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सुना और प्रशिक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी हमने जाना, उसके आधार पर अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठाएं। इसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीक़े से प्रयास करना चाहिए।

हमारा काम यह है कि हम ये देखें कि बौद्धिक स्तर पर 0 से 10 के बीच हम कहां खड़े हैं? मान लीजिए कि हम चौथे पायदान पर हैं और हमें पांचवें पायदान पर जाना है तो क्या करने से अगले 6 महीनों में हमारी बौद्धिक योग्यता का विकास होगा? इसके लिए विभिन्न ज्ञानवर्धक पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। समाज के जानकार और बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये सब बौद्धिक विकास के माध्यम हैं। योजनबद्ध तरीक़े से अध्ययन, चिंतन-मनन, विश्लेषण, विवेचना और विमर्श के माध्यम से हम अपनी बौद्धिक योग्यता का विकास कर सकते हैं। ■■

शराब 'नीति' के शोर में विलुप्त होता 'बंदी' का विमर्श

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

देश की राजधानी दिल्ली में बीते माह 'शराब नीति' को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम देखने को मिला। शराब नीति को लेकर भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी के इस घमासान के बीच एक दिलचस्प पहलू यह भी देखने को मिला कि दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह शराब के ख़िलाफ़ और पूर्ण शराबंदी के घोर पक्षधर रहने वाले राष्ट्रपिता गांधीजी की समाधि पर जाकर प्रदर्शन किया।

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब के मसले पर जो रवैया अपनाया वह पूरे देश में बहस का केंद्र बना। आरोप है कि राजधानी में शराब ख़रीदने और पीने के मामले में नीतियों को उदार किया गया। सवाल यह है कि गांधीवादी विचारों और भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर हुए जिस आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ उस आंदोलन के विचारों की कसौटी पर वह कहां खड़ी है? आज राजधानी दिल्ली में स्थिति यह है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भाजपा तथा अन्य विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा 'शराब नीति' को लेकर उठाए जा रहे शोर के बीच 'शराबबंदी' का अस्ल विमर्श विलुप्त नज़र आ रहा है।

ग़ौरतलब है कि एक ओर जहां आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करने और शराब कारोबारियों को अनुचित तरीक़े से लाभ पहुंचाने का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित राज्य गुजरात में गत माह ज़हरीली शराब के सेवन से 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार पड़

गए और लगभग 50 लोगों को अपनी जान से हाथ थोना पड़ा। ऐसा तब हुआ जबकि गुजरात में वर्ष 1960 से ही पूर्ण शराबबंदी है।

कैसी विडम्बना है कि दिल्ली में 'शराब नीति' को लेकर उठे इस विवाद के दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं और विधायकों ने पूर्ण शराबबंदी के घोर समर्थक रहे गांधीजी की समाधि पर जाकर सत्यता की दुहाई दी। यह शर्मनाक है। राष्ट्रपिता गांधीजी ने तो नशा मुक्त समाज की कल्पना की थी। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों का देश से जाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी देश में पूर्ण शराबबंदी है। गांधीजी कहते थे कि यदि मुझे 48 घंटे की भी हुकूमत दे दी जाए तो मैं एक साथ बिना मुआवज़ा दिए शराब की सारी दुकाने बंद करा दूंगा।

इसका मुख्य कारण वह शराब के सेवन से उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक और नैतिक बुराइयों को बताते थे। उनका मानना था कि शराब सिर्फ़ मनुष्य का स्वास्थ्य ही नहीं उसकी आत्मा का भी धीरे-धीरे नाश कर देती है। वह पशु में परिवर्तित हो जाता है। उसके भीतर नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होने लगता है।

गांधी ने नशा निषेध पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। वे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन के प्रबल विरोधी थे। वह कहते थे कि भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति न हो जो शराब का सेवन करे।



वर्ष 1927 में गांधी ने कहा था कि, ''मैं भारत में कुछ हज़ार शराबी देखने के बजाय देश को अत्यधिक ग़रीब देखना पसंद करूंगा।'' गांधी ने पूणतः नशामुक्त समाज की परिकल्पना की थी।

दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज तक गांधी की इस परिकल्पना को मूर्तरूप देने में हम असमर्थ हैं। पूर्ण शराबबंदी क्यों ज़रूरी है? इसको समझने के लिए हमें व्यापक दृष्टि की ज़रूरत है। सरकारें यदि अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए 'शराब-नीति' में फेर-बदल करती हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

विशेषज्ञों और जानकारों ने शराब से मिलने वाले राजस्व तथा इसके सेवन के कारण होने वाली हानियों के अध्ययन में पाया कि शराब से आने वाले राजस्व की तुलना में शराबजन्य रोगों और अपराधों की रोकथाम के लिए सरकारों को 24 प्रतिशत अधिक धन ख़र्च करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में शराबबंदी से राजस्व घाटे को जोड़ने का तर्क बेहूदा है।

आमतौर पर शराबबंदी न करने के पीछे सरकारों का तर्क होता है कि इससे विकास प्रभावित होगा, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद गांधी और पटेल के राज्य गुजरात में पूर्ण शराबबंदी की

घोषणा की गई थी। गुजरात का विकास इतने वर्षों में नहीं प्रभावित हुआ। देश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की किसी ने शराबबंदी पर गंभीरता से विचार नहीं किया। यदि शराब के राजस्व से ही विकास संभव था तो गुजरात पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा?

देश और दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है जब शराब पर पाबंदी लगाने से विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो। कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर पर इसके सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में



सवाल उठता है कि शराब से मिलने वाले राजस्व के मुनाफ़े की तुलना में इससे होने वाला घाटा अधिक है तो सरकारें इसे बंद करने के पक्ष में क्यों नहीं हैं?

दरअस्ल, शराबबंदी के पीछे सरकार का राजस्व घाटे का डर कम और सरकार में बैठी आबकारी लॉबी तथा उसके समर्थक विधायकों-सांसदों के निजी घाटे का डर अधिक है। यह देश के राजनीति का नैतिक पतन नहीं तो और क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों के ढेर सारे सांसद-विधायक शराब व्यवसाय से जुड़े हैं और शराब माफ़ियाओं से चंदा और मदद लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी शराब माफियाओं से चंदा मिलता है। सरकारों को पूर्ण शराबबंदी के लिए जिस नैतिक बल की आवश्यकता है, उस नैतिक बल का उनमें घोर अभाव दिखाई देता है।

देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी का जो सदस्यता फॉर्म भरा जाता था उसमें शराब का सेवन न करने का प्रण लेना पड़ता था। उस दौरान कोई भी नेता शराब के पक्ष में नहीं था। वर्ष 1956 में संसद के दोनों सदनों में पूर्ण शराबबंदी पर बहस हुई। देश में शराबबंदी की मांग को लेकर जस्टिस टेकचंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, लेकिन आज तक पूरे देश में शराबबंदी नहीं हो सकी।

अफ़सोस की बात यह है कि आज तक देश में केंद्र की सत्ता पर आरूढ़ होने वाली कोई भी सरकार शराबबंदी पर गंभीर नहीं रही। सांसद-विधायक-मंत्री जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसकी धारा-47 में बहुत साफ़ लिखा है कि नशीले पदार्थों पर रोकथाम सरकार की ज़िम्मेदारी है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह भी कहा गया है कि ‘‘राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक दवाओं के औषधीय

दरअस्ल, शराबबंदी के पीछे सरकार का राजस्व घाटे का डर कम और सरकार में बैठी आबकारी लॉबी तथा उसके समर्थक विधायकों-सांसदों के निजी घाटे का डर अधिक है। यह देश के राजनीति का नैतिक पतन नहीं तो और क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों के ढेर सारे सांसद-विधायक शराब व्यवसाय से जुड़े हैं और शराब माफ़ियाओं से चंदा और मदद लेते हैं।

हमारे नैतिक, धार्मिक एवं सामजिक मूल्यों का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिससे शराब के सेवन को प्रोत्साहन मिलता हो। इसके अलावा जब हर कोई जानता है कि शराब का सेवन फलदायी नहीं है और इससे सिर्फ़ अपराध, समस्या और नुक़सान की स्थिति ही उत्पन्न होती है तो आख़िर इसे समाज में जगह दी ही क्यों जाए? लोगों को इस आसुरी लत से मुक्त किया जाना अति आवश्यक है।

प्रयोजनों के छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये नियम बनाएगा।'' शराब, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक विषय है।

संविधान की धारा 51 (ए) में भी कहा गया है कि आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं उसे हमें संरक्षित करना है। हमारी आज़ादी की लड़ाई गांधीजी के नेतृत्व में लड़ी गई। गांधी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शराबबंदी थी। यहां तक की आज़ादी की लड़ाई में शराबबंदी स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रमुख लक्ष्य था।

शराब या अन्य नशे को भारतीय समाज में कभी भी अच्छा नहीं माना गया। हमारे देश के महापुरुषों ने समय-समय पर शराब के ख़िलाफ़ जागरूकता अभियान चलाया। अधिकांश समाज सुधारकों ने शराब को धर्म, जीवन और समाज के लिए दुष्प्रभावी बताया। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी सरकार को शराब का प्रचार और विपणन (मार्केटिंग) नहीं करना चाहिए।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब एक जानलेवा चीज़ है, इससे होने वाली हानियों की सूची बहुत लंबी है। शराब से न केवल मनुष्य का शरीर बल्कि उसका पैसा, परिवार, सुख-चैन सभी का नुक़सान होता है। शराब का सेवन किस हद तक अपने दुष्परिणाम दिखा सकता है यह किसी से छिपा नहीं है। शराब न सिर्फ़ इसका सेवन करने वाले का नाश करती है बल्कि यह समाज के



लिए भी एक कलंक है। इसकी वजह से न जाने कितने परिवार उजड़ते हैं और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं।

हमारे नैतिक एवं धार्मिक मूल्य भी हमें शराब के सेवन के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। इस्लाम धर्म में तो शराब को पूरी तरह से वर्जित क़रार दिया गया है। इसी प्रकार सनातन धर्म (जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है) में कहा गया है कि शराब धर्म को भ्रष्ट कर देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान 13 रत्न निकले थे। 12 देवताओं ने रखे और एक रत्न, जिसे शराब माना गया, वह राक्षसों को दे दिया गया। माना गया कि शराब राक्षसत्व बुद्धि को प्रबल करती है। देवत्व क्षीण होता है और राक्षसी प्रवृत्तियों को बल मिलता है, जो बुद्धि को भ्रष्ट करती है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमारे नैतिक, धार्मिक एवं सामजिक मूल्यों का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिससे शराब के सेवन को प्रोत्साहन मिलता हो। इसलिए यह न केवल सरकार बल्कि इस समाज की और ख़ुद हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को शराब का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासों द्वारा शराबबंदी के लिए ज़ोर दिया जाए। आम नागरिक हो या फिर सरकार सभी को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए और ठोस क़दम उठाना चाहिए।

जब हर कोई जानता है कि शराब का सेवन फलदायी नहीं है और इससे सिर्फ़ अपराध, समस्या और नुक़सान की स्थिति ही उत्पन्न होती है तो आख़िर इसे समाज में जगह दी ही क्यों जाए? लोगों को इस आसुरी लत से मुक्त किया जाना अति आवश्यक है।

हमारे देश में शराब की समस्या किसी एक स्थान या राज्य की समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। निश्चित रूप से शराबबंदी को लेकर ठोस क़दम उठाया जाना चाहिए वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। हालांकि हमारे देश की कई राज्य सरकारों ने शराबबंदी का महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया, लेकिन इस बीच अवैध शराब की बिक्री तेज़ी से सर उठाने लगी। सरकारों को इस मकड़जाल को समझकर इसे भेदने की ज़रूरत है न कि इसमें फंसने की। ■■

ख़तरा बनता नशे का धंधा

अभिमत



अभिषेक कुमार सिंह

किसी समाज और देश को भीतर से खोखला करना हो तो उसकी युवाशक्ति को नशे के गर्त में धकेलना काफ़ी है। हाल के वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों की बरामदगी, ज़ब्ती और मादक पदार्थों की आपूर्ति के संजाल के ख़ुलासों पर नज़र दौड़ाई जाए, तो कह सकते हैं कि नशे की गिरफ़्त में जाती हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही संकट से दो-चार है। मामला सिर्फ़ यह नहीं है कि चौकसी बरते जाने के कारण देश में मादक पदार्थों की भारी-भरकम खेपें पकड़ी जा रही हैं, बल्कि गंभीर पहलू यह भी है कि आख़िर इस नेटवर्क में कौन लोग शामिल हैं? ये मादक पदार्थ कहां से आ रहे और कहां जा रहे हैं? और इतनी भारी खपत हमारे देश के किन इलाक़ों व समाज के किन वर्गों के बीच हो रही है?



इस समस्या का एक सिरा इससे भी जुड़ता है कि दिखावे की परंपरा, अमीरों जैसी रहन-सहन वाली शैली, परिवारों की टूटन, बेरोज़गारी या अकेलेपन आदि ने ही तो कहीं हमारी युवा पीढ़ी को जाने-अनजाने नशे की अंधेरी गलियों में नहीं धकेल दिया है! देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की धरपकड़ में इधर काफ़ी तेज़ी आई है। हाल में मुंबई की मादक द्रव्य निरोधी इकाई (एंटी नारकोटिक्स सेल) ने गुजरात के भरूच ज़िले के अंकलेश्वर में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के पांच सौ तेरह किलो नशीले पदार्थों की बरामदगी के साथ सात लोगों को पकड़ा था।

इसी तीन अगस्त को मुंबई के नालासोपारा से चौदह अरब रुपये की नशीली दवा मेफेड्रान-एमडी पकड़ी गई थी। पता चला था कि ये खेपें उच्च वर्ग के युवाओं के दायरों में बेची जा रही हैं। यही नहीं, मादक पदार्थों के इस गोरखधंधे में लगे लोग कारोबार के लिए सोशल मीडिया और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनकी आसानी से धरपकड़ न हो सके। उल्लेखनीय यह भी है कि मादक पदार्थों की यह आपूर्ति देश के बाहर के कई ठिकानों से हो रही है। गुजरात में मुंद्रा और पीपीवावा जैसे निजी बंदरगाह देश में बाहर से नशीले पदार्थों के कारोबार के प्रवेश द्वार बन गए हैं। वर्ष 2017 से 2020 के दौरान गुजरात में ढाई लाख करोड़ रुपये की नशीली दवाएं पकड़ी जाना इस बात का संकेत है कि एजेंसियां इस गोरखधंधे में शामिल लोगों को पकड़ने में नाकाम रही हैं। वरना कैसे ये मादक पदार्थ हमारे यहां पहुंच रहे हैं?

शायद इसकी एकमात्र वजह यही है कि इस कारोबार में लगे लोगों को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण हासिल है और इसलिए पुलिस व केंद्रीय एजेंसियां अवैध कारोबार में लगे असली दोषियों को पकड़ने में हिचकिचाती हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ना और चिंता पैदा कर रहा है। यह एक क़िस्म का नार्को आतंकवाद है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्ष 2019 में अटारी-वाघा सीमा पर पांच सौ किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद होने के दो साल बाद पिछले साल दिसम्बर में गुजरात तट पर एक पाकिस्तानी नांव से 77 किलो हेरोइन की ज़ब्ती से ऐसा संकेत मिला था कि सीमा पर सख़्ती के चलते



आतंकवादियों को हथियार व गोला-बारूद जुटाने में मदद के लिए नशे की खेपों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसके सबूत भी मिल चुके हैं कि बड़े पैमाने पर ड्रोनों का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्रों में नशे की खेप पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। सितम्बर, 2020 में गुजरात के कच्छ इलाक़े में मुंद्रा बंदरगाह पर क़रीब तीन हज़ार किलो हेरोइन की बरामदगी ने देश को चौंका दिया था। इससे यह पता चला था कि नशे की तस्करी के लिए समुद्री मार्गों का भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। अस्ल में नशीले पदार्थों की तस्करी में जिस तरह के तरीक़े अपनाए जाने लगे हैं, उनके कारण भी इनकी आपूर्ति को रोक पाना मुश्किल होता रहा है। जैसे कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर तीन हज़ार किलो हेरोइन ईरानी टेल्कम पाउडर की शक्ल में बरामद हुई थी।

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इक्कीस हज़ार करोड़ रुपये क़ीमत वाली इस खेप को सबसे बड़ी बरामदगी बताया गया था। वर्ष 2021 में मादक पदार्थों की धरपकड़ के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि पहले पूरे साल

हेरोइन का देश में आना बताता है कि देश में या तो इसकी खपत कई गुना बढ़ गई है या फिर भारत नशीले पदार्थों की आपूर्ति के किसी नेटवर्क का बड़ा केंद्र बन गया है।

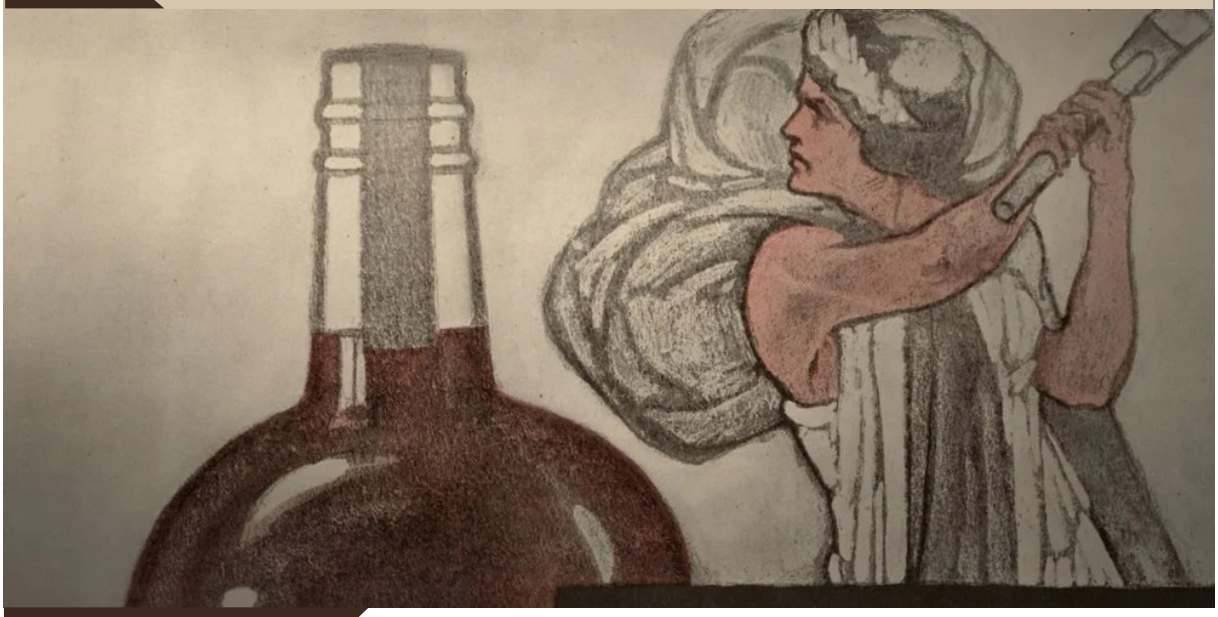
जांच एजेंसियां नशे की जो खेपें पकड़ती थीं, उसमें कुल मिला कर सालाना बरामदगी ढाई हज़ार किलो तक रहती थी, लेकिन मुंद्रा पोर्ट पर एक ही बार में तीन हज़ार किलो हेरोइन का देश में आना बताता है कि देश में या तो इसकी खपत कई गुना बढ़ गई है या फिर भारत नशीले पदार्थों की आपूर्ति के किसी नेटवर्क का बड़ा केंद्र बन गया है। दोनों ही सूरतों में हालात चिंताजनक हैं। यदि पकड़ी गई खेप विशुद्ध हेरोइन हुई तो देश में खपत को आधार बनाने से जुड़ा आकलन बताता है कि इसे पचहत्तर लाख युवाओं को नशे की चपेट में लाया जा सकता था। इस तरह तीन हज़ार किलो हेरोइन एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में सेवन की जाने लायक चार सौ साठ मिलीग्राम की न्यूनतम पचहत्तर लाख ख़ुराकों में तब्दील हो सकती है। अगर यह हेरोइन मिलावटी हुई तो भी इससे पंद्रह लाख लोगों के इस्तेमाल लायक खुराकों में बदला जा सकता है। ऐसी धर-पकड़ अकेले गुजरात में नहीं हुई हैं, बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मादक पदार्थ तस्करी के कई बड़े गिरोहों का का भंडाफोड़ हुआ है।

देश में युवा बड़ी तेज़ी से नशे की ज़द में आ रहे हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां अगर सख़्ती करें और चुस्त निगरानी करें तो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को ध्वस्त करना कोई मुश्किल काम है, लेकिन इसमें तकनीकी चुनौतियां भारी पड़ रही हैं। देखा गया है कि कोरोना काल में नशीले पदार्थों का कारोबार इंटरनेट के अवैध स्वरूप डार्कनेट और समुद्री मार्ग के ज़रिये बढ़ा है। दावा है कि डार्कनेट बाज़ार में नब्बे प्रतिशत बिक्री कथित तौर पर नशीले पदार्थों से संबंधित है। संभवतः यह एक बड़ी वजह है जिसके कारण देश में हेरोइन की बरामदगी तीन गुना से अधिक हो गई है।

तस्कर आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर क़ानून-व्यवस्था की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में सरकारी एजंसियों को साइबर मोर्चे पर अंकुश लगाने के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि यह समस्या तब तक नहीं सुलझेगी, जब तक कि समाज इसकी रोकथाम में अपनी सक्रियता नहीं दिखाएगा। नशीले पदार्थों का सेवन असल में एक सामाजिक समस्या है।

■■

शराबबंदी की सफलता का मूलाधार



समाधान



मौलाना अबुल्लैस नदवी

मनुष्य को जिस चीज़ के कारण समस्त प्राणियों में विशिष्ट और प्रतिष्ठित एवं केंद्रीय स्थान दिया गया है, वह वास्तव में उसकी सोचने-समझने और सत्य-असत्य और भले-बुरे में अन्तर करने की क्षमता है। अब यह स्वाभाविक बात है कि जिस चीज़ या काम से मनुष्य की इस क्षमता और योग्यता को आघात पहुंचता हो या उसके पूर्ण रूप से क्रियाशील होने में बाधा उत्पन्न होती है, उसको मनुष्य का निकृष्टतम शत्रु समझा जाए। शराब चूंकि मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से कार्य करने में रुकावट डालती और उसकी तर्क-शक्ति को शिथिल करके मनुष्य को मानवता से ही वंचित कर देती है, इसलिए उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करना बिल्कुल उचित ही है।

शराब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके साथ कोई नर्मी की जाए। कोई नर्म पॉलिसी इस बहुत बड़ी बुराई का उन्मूलन नहीं कर सकती। मुकम्मल नशाबंदी से कम कोई चीज़ जनता को इस लानत से नहीं बचा सकती। आमतौर पर शराबबंदी के सिलसिले में कुछ लचर दलीलें दी जाती हैं। बुद्धिवाद के नाम पर कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं में नशाबंदी के कितने ही क़ानूनों को ढीला कर दिया। इस समय स्थिति यह है कि अधिकतर राज्यों में मात्र दिखावे के लिए केवल आंशिक रूप से नशाबंदी लागू है।

परिणामस्वरूप साल का कोई दिन भी ऐसा नहीं गुज़रता है जिसमें शराब पीने के घातक परिणामों की ख़बरें सुनने में न आती हों। मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर नशाबंदी का विरोध करना बुद्धिवाद का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। कहावत है कि आसक्ति और प्रेम आदमी को अंधा बना देता है और शराब तो है ही वह चीज़ जो बुद्धि पर परदा डाल दिया करती है, लेकिन जो भले और बुद्धिमान लोग इस लानत से बचे हुए हैं उनकी ओर से स्वतंत्रता के नाम पर नशाबंदी का विरोध विचित्र मालूम होता है। आख़िर यह कौन-सी आज़ादी है जो उस उद्देश्य ही को नष्ट कर दे जिसके लिए आज़ादी की मांग की जाती है।

इस समस्या का यह पहलू भी विचारणीय है कि शराबबंदी से सरकार को माली हैसियत से जो घाटा होगा इसके नैतिक लाभों के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। फिर दूसरे उसकी बड़ी हद तक क्षतिपूर्ति इससे हो सकती है कि शराब पीने वाले शराब पर जो निस्संकोच रुपया बहाते हैं उसको बचाकर वे अपनी और अपने घरवालों की अहम ज़रूरतों पर ख़र्च कर सकेंगे और इससे उनकी कार्यक्षमता में भी अभिवृद्धि होगी जिससे देश को विभिन्न पहलुओं से लाभ पहुंचेगा और अप्रत्यक्षतः उससे सरकारी ख़ज़ाने को भी लाभ पहुंच सकेगा।

जहां तक सरकारों के कोषों के शराबबंदी से प्रभावित होने का प्रश्न है तो उसको शराबबंदी के विरोध के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत करना तो और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारों के लिए आमदनी का प्रश्न उतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व मानव की बुद्धि और होश की रक्षा को प्राप्त है-जिस पर स्वयं उसके अपने प्राण, धन और सम्मान के साथ-साथ दूसरों के प्राण-धन और सम्मान की सुरक्षा निर्भर करती है।

इस समस्या का यह पहलू भी विचारणीय है कि शराबबंदी से सरकार को माली हैसियत से जो घाटा होगा इसके नैतिक लाभों के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। फिर दूसरे उसकी बड़ी हद तक क्षतिपूर्ति इससे हो सकती है कि शराब पीने वाले शराब पर जो निस्संकोच रुपया बहाते हैं उसको बचाकर वे अपनी और अपने घरवालों की अहम ज़रूरतों पर ख़र्च कर सकेंगे और इससे उनकी कार्यक्षमता में भी अभिवृद्धि होगी जिससे देश को विभिन्न पहलुओं से लाभ पहुंचेगा और अप्रत्यक्षतः उससे सरकारी ख़ज़ाने को भी लाभ पहुंच सकेगा।

मेरे विचार में शराबबंदी या नशा-निषेध को सफल बनाने के लिए देश की धार्मिक और समाज कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को उनकी ज़िम्मेदारियां अदा करने की ओर ध्यान दिलाया जाना चाहिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि यह समस्या उनके दायित्व के अंतर्गत आती है या नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसका उनकी ज़िम्मेदारियों में से होना बल्कि इसका एक बड़ी ज़िम्मेदारी होना स्वयं सिद्ध है। मेरे विचार में कोई धर्म भी ऐसा न होगा जो इसके प्रति उदासीनता दिखाए और जो चीज़ मानव को मानवता के पद से गिरा देने वाली और बहुत से नैतिक दुर्गुणों का मूल कारण बनती हो उसकी ओर ध्यान न दे और लोगों को उससे दूर रखने के लिए कोई क़दम न उठाए।

इस प्रकार जो संस्थाएं सामाजिक कल्याण में रुचि रखती हैं, यदि उनके कार्यक्रमों में इस बुराई के उन्मूलन को पूरी गंभीरता के साथ शामिल न किया गया हो तो ऐसी संस्थाओं को बस नाम मात्र की ही समाज-कल्याण संस्था समझा जा सकता है। विभिन्न धर्मों और धार्मिक संस्थाओं से संबंध रखने वाले सज्जन लोग इस समस्या पर अपने-अपने धर्म के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है, किंतु जहां तक इस्लाम का संबंध है और जिसका अनुयायी होने का मुझे श्रेय प्राप्त है उसका दृष्टिकोण इस विषय में इतना स्पष्ट है कि सम्भवतः इस सिलसिले में किसी विस्तृत वार्तालाप की ज़रूरत न होगी।

इस्लाम में शराब को बिल्कुल ही हराम और निषिद्ध और नापाक कहा गया है इससे दूर रहने की ताक़ीद की गई है और इसे कल्याण एवं सफलता का मार्ग कहा गया है। क़ुरआन कहता है-

''ऐ ईमान लाने वालो, यह शराब और जुआ और ये (झूठे देवी-देवताओं के) थान और पांसे, शैतान के गंदे कामों में से हैं, अतः इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको।'' (5:90)

इसके आगे क़ुरआन में शराब और जुए दोनों की ख़राबियों की ओर इन शब्दों में ध्यान दिलाया गया है-

''शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य और द्वेष पैदा कर दे।'' (5:91)

क़ुरआन की इन आयतों में शराब के लिए "ख़म्र" शब्द का प्रयोग किया

गया है जो विशेष रूप से विचारणीय है। ख़म्र अरबी भाषा का शब्द है जिससे अभिप्रेत हर वह चीज़ है जो बुद्धि पर परदा डाल दे। इस शब्द की यही व्याख्या दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने ख़ुत्बे (धार्मिक अभिभाषण) में की थी-'ख़म्र' ''उस चीज़ को कहते हैं जो बुद्धि पर परदा डाल दे।''

इस व्याख्या से जहां यह बात स्पष्ट होती है कि शराब बुद्धि को भंग करती है, वहीं इससे यह भी मालूम होता है कि इस्लाम ने किसी विशेष प्रकार की शराब ही को हराम (वर्जित) नहीं किया है, बल्कि इसके अन्तर्गत हर वह चीज़ आ जाती है जो नशा लाने वाली हो और मनुष्य की सोचने-समझने की शक्ति को नष्ट करे या उसे हानि पहुंचाए। प्रत्येक मादक चीज़ 'ख़म्र' है और प्रत्येक मादक चीज़ हराम है।

शराब के सिलसिले में इस्लाम का एक नियम यह भी है कि नशीली चीज़ को कम से कम मात्रा में भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है और यह मानव-दुर्बलता की दृष्टि से एक बुद्धिसंगत बात है, क्योंकि शराब के विषय में जहां यह बात सत्य है कि मुंह लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है, वहीं यह बात भी सत्य है कि इसमें किसी सीमा का निर्धारण बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीमा का निर्धारण बुद्धि ही करेगी और वह शराब के प्रभाव से शिथिल हो जाती है।

शराबबंदी के सिलसिले में इस्लामी शिक्षाओं की बात करते हुए इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस्लाम में शराब की थोड़ी-से-थोड़ी मात्रा को भी हराम घोषित किया गया और जिस प्रकार शराब और शराबी पर लानत भेजी गई है उसी प्रकार उसे निचोड़ने वाले और जिसके लिए वह निचोड़ी जाए और उसे बेचने वाले और उसका क्रय-विक्रय करने वाले, उसे पिलाने वाले, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले और जिसके लिए वह ले जायी जाए, उन सभी को ईश्वरीय प्रकोप का भागी घोषित किया गया है। इस्लाम में केवल शराब की बुराइयां बयान कर देने ही पर बस नहीं किया गया है, बल्कि इसके साथ-साथ इसकी एक सख़्त सज़ा भी निर्धारित की गई है और शरीअत (धर्म-विधान) की दृष्टि से यह बात इस्लामी हुकूमत के कर्तव्यों में से है कि वह शराबबंदी के आदेश को बलपूर्वक लागू करे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शराबबंदी के सिलसिले में हमारा सबसे बड़ा साधन लोगों में ईश-भक्ति, धर्म परायणता और परलोक की पूछताछ के एहसास और वहां की सफलता की अभिलाषा को उभारना है। अतीत में इस्लाम में ईश्वर के आज्ञापालन की यही भावना शराबबंदी की सफलता की अस्ल ज़मानत थी और भविष्य में भी इसी के द्वारा इसे सफल बनाया जा सकता है। ■■



जहां तक सरकारों के कोषों के शराबबंदी से प्रभावित होने का प्रश्न है तो उसको शराबबंदी के विरोध के लिए तर्क के रूप में प्रस्तुत करना तो और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारों के लिए आमदनी का प्रश्न उतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व मानव की बुद्धि और होश की रक्षा को प्राप्त है-जिस पर स्वयं उसके अपने प्राण, धन और सम्मान के साथ-साथ दूसरों के प्राण-धन और सम्मान की सुरक्षा निर्भर करती है।

कविता

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए

• दुष्यंत कुमार •

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी,

शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।

हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में,

हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।

सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं,

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

श्रद्धांजलि

मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी का देहावसान

समाज के लिए अभूतपूर्व क्षति



जमाअत इस्लामी हिन्द के भूतपूर्व अमीर (अध्यक्ष) और सुविख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी का देहावसान समाज के लिए एक बड़ा नुक़सान है। मौलाना ने न केवल जमाअत इस्लामी हिन्द को अपनी सेवाओं के ज़रिए ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि डन्होंने देश में बढ़ती नफ़रत के माहौल के बीच देश में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। मौलाना पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के मामले में इस्लामी शिक्षाओं के विशेषज्ञ थे। इस संबंध में वे व्याख्यानों और लेखनों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते थे।

मौलाना 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक और एक बेहतरीन वक्ता थे। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की, फिर उन्होंने अरबी अध्ययन के लिए जामिया दारुस्सलाम, उमराबाद में दाख़िला लिया और वर्ष 1954 में फ़ज़ीलत का कोर्स पूरा किया। साथ ही उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की परीक्षा भी दी और फ़ारसी भाषा और अदब की डिग्री 'मुंशी फ़ाज़िल' हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए (केवल अंग्रेज़ी) प्राइवेट से पास की। वह लगातार तीन बार जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2007 में पहली बार उन्हें जमाअत इस्लामी हिंद का अमीर चुना गया था। इससे पहले उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।

मौलाना का पूरा जीवन संगठन की सेवा में बीता। वह मूल रूप से तमिलनाडु के थे, लेकिन उनका अधिकांश जीवन उत्तर भारत में बीता। उन्होंने लंबे समय तक तस्नीफ़ी अकादमी अलीगढ़ में अपनी सेवाएं दीं।

मौलाना को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के बीच एकता के लिए काम किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और योग्यता के मद्देनज़र उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी मिली। वर्तमान में मौलाना जमाअत इस्लामी की शरिया कौंसिल के अध्यक्ष थे। उनका इस दुनिया से जाना समाज के लिए एक भारी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिजनों, जमाअत इस्लामी हिन्द के सदस्यों तथा मौलाना से जुड़े दूसरे लोगों को दुख की इस घड़ी में सहनशक्ति प्रदान करे।

(रुजूअ इलल क़ुरआन)

क़ुरआन : सबके लिए



विशेष आयोजन



डॉ. फ़रहत हुसैन,
मुशर्रफ़ अली

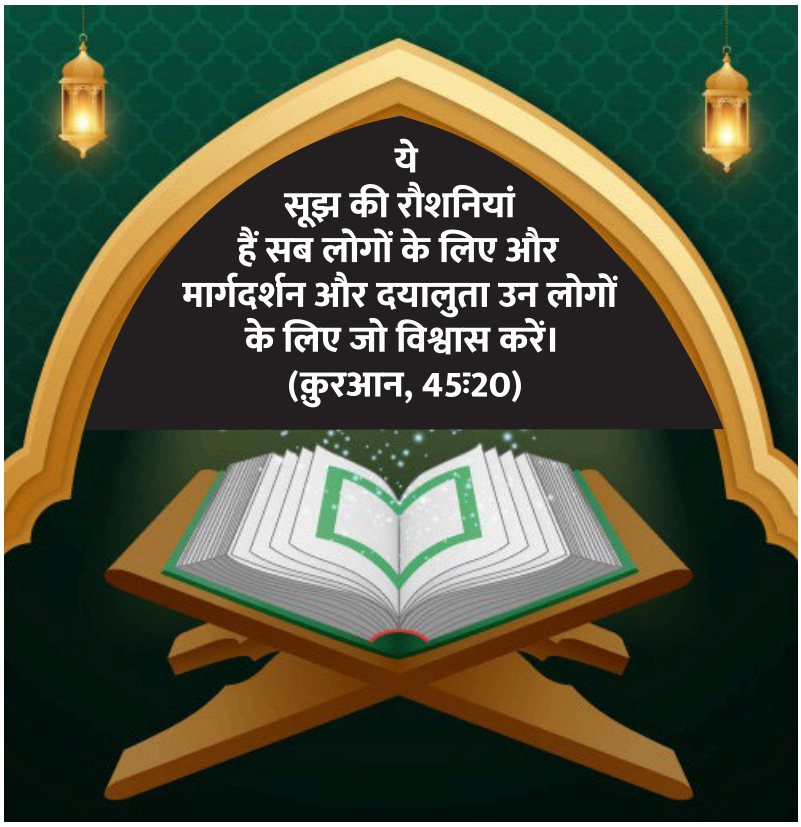
यह केवल इस्लाम के अनुयायियों की आस्था मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास साक्षी है कि ईश्वरीय ग्रन्थ क़ुरआन ईश्वर के आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर उतारा गया। इसे लिखने और याद करने का क्रम भी साथ-साथ चलता रहा। इसमें ज्ञान एवं तत्वदर्शिता की जो बातें कही गई हैं वे साढ़े चौदह सौ वर्ष पहले किसी मनुष्य के ज्ञान की सीमा में नहीं आ सकती थीं। बहुत-सी बातें तो विज्ञान ने अब मालूम की हैं, जबकि वे साढ़े चौदह सौ वर्ष पहले ही क़ुरआन में मौजूद थीं।

यह बात भी प्रमाणित है कि मुहम्मद (सल्ल.) लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे बल्कि उस समय के अरब समाज में जो लोग पढ़े-लिखे थे उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिबरील (अलैहि.) अल्लाह के आदेश पर क़ुरआन की आयतें लेकर आते और उन्हें मुहम्मद (सल्ल.) को याद करा देते। फिर मुहम्मद (सल्ल.) यह आयतें अपने सहाबियों (साथियों) को याद करा देते। सहाबियों में से जो लोग लिखना-पढ़ना जानते उनमें से किसी को आप (सल्ल.) आदेश देते कि वे इन्हें लिख लें। फिर जब दूसरी आयत आती तो आदेश देते कि इसे उक्त आयत के पहले और उक्त के बाद लिख लें। इस तरह 23 वर्षों में पूरा क़ुरआन नाज़िल हुआ।

इसे स्वयं उसी व्यक्ति ने संकलित किया है, जिस पर इसका अवतरण हुआ है, इससे प्रमाणित होता है ये वही शब्द हैं जो ईश्वर की ओर से आए हैं। दूसरे किसी भी ग्रन्थ के साथ ये बात नहीं है। क़ुरआन के ठीक पहले के अवतरण तौरात और इंजील को भी क्रमशः हज़रत मूसा (अलैहि.) और हज़रत ईसा (अलैहि.) के 300-350 वर्षों बाद दूसरे लोगों ने संकलित किया है, जिनकी भाषा भी अवतरण की भाषा नहीं थी।

इसके अतिरिक्त क़ुरआन की विषय

वस्तु ख़ुद इस बात का प्रमाण है कि वह किसी मनुष्य की रचना नहीं, बल्कि इसका रचयिता वही है जो सर्व-जगत का रचनाकार है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं क़ुरआन में गर्भाशय के भीतर भ्रूण के विकास में जो विभिन्न चरण बताए गए हैं, उनकी खोज विज्ञान ने अभी हाल में ही वर्ष 1980 के आस-पास की है। और बहुत से क्षेत्रों में विज्ञान अभी वहां नहीं पहुंच सका है जिसकी ओर क़ुरआन में इशारे किए गए हैं।



क़ुरआन के ईश्वरीय ग्रन्थ होने का एक प्रमाण उसकी साहित्यिक शैली भी है। उस स्तर की रचना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है यह भी एक कारण है कि क़ुरआन में किसी शब्द का हेर-फेर नहीं किया जा सका। क़ुरआन की भाषाशैली मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी हेर-फेर को स्वीकार ही नहीं कर सकती। इसके अलावा क़ुरआन में ईश्वर ने इसे ईश्वर की वाणी न मानने वालों को कई जगह चुनौती भी दी है कि अगर वे इसे ईश्वर की ओर से आया हुआ नहीं मानते हैं तो वे इसके जोड़ की एक पंक्ति ही तैयार कर लाएं और इसके लिए अपने सारे सहयोगियों से मदद ले लें।

''और (देखो!) यदि तुम्हें इस (वाणी) की सच्चाई में संदेह है जो हमने अपने बन्दे पर (यानी इस्लाम के संदेशवाहक पर) अवतरित की है तो (इसका फ़ैसला बहुत आसान है यदि वह केवल एक मानवीय बुद्धि की रचना है तो तुम भी मानव हो, कम नहीं) इसके जैसी एक सूरह (अध्याय) ही बना लाओ, और अल्लाह के अतिरिक्त जिन (शक्तियों) को तुमने अपना कार्य-साधक समझ रखा है उन सबको भी अपनी सहायता के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर यदि तुम ऐसा न कर सको (वास्तविक्ता यह है कि) कभी न कर सकोगे, तो उस आग की यातना से डरो (जो लकड़ी के स्थान पर) मानव और पत्थरों के ईंधन से सुलगती है (और) सत्य के इन्कार करने वालों के लिए तैयार की गई है।''

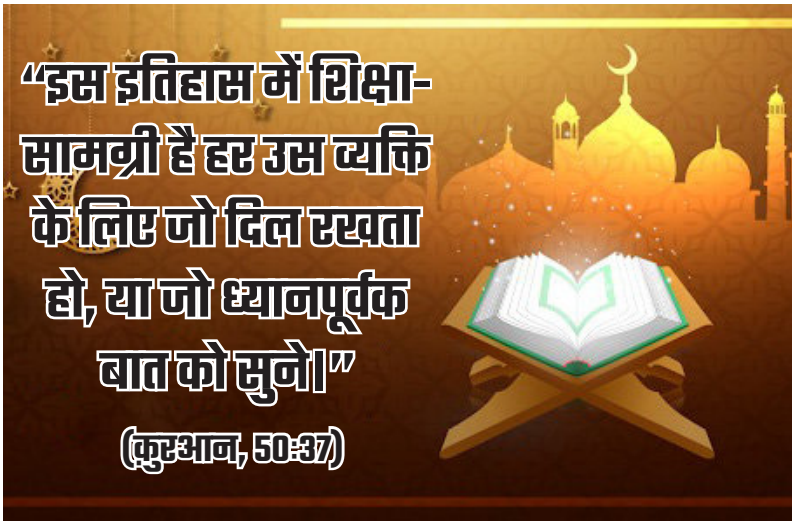
(क़ुरआन, 2:23-24)

इस तरह की चुनौतियां क़ुरआन में और भी कई जगहों पर दी गई हैं। साढ़े चौदह सौ साल से क़ुरआन की यह चुनौतियां आज भी बरक़रार हैं। दूसरी ओर ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि क़ुरआन की शिक्षाएं शत-प्रतिशत सुरक्षित हैं। एक तो इसकी भाषाशैली ऐसी है कि इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जा सकता, दूसरे इस किताब का चमत्कार यह है कि इसके हाफ़िज़ अर्थात् इसे कंठस्त करने वाले दुनिया में हर जगह मौजूद हैं और हर दौर में रहे हैं। हालांकि इसकी भाषा अरबवासियों के अलावा सबके लिए अजनबी है, लेकिन इसके बावजूद यह किसी भी भाषा बोलने वालों की ज़ुबान पर बड़ी आसानी से जारी हो जाती है। एक आदमी चाहे उसकी भाषा जूलू हो, चीनी हो, तमिल हो या कोई और हो। चाहे वह मातृभाषा के अलावा किसी भी भाषा को बोलने में असमर्थ हो, लेकिन जब वह मन लगाकर क़ुरआन पढ़ता है तो उच्चारण की कोई ग़लती नहीं करता और छोटे-छोटे बच्चे इस मोटी किताब को ज़ुबानी याद कर लेते हैं।

क़ुरआन को ज़ुबानी याद करने वाले (हाफ़िज़) लाखों-करोड़ों की संख्या में दुनिया के कोने-कोने में मौजूद हैं और क़ुरआन उनके सीनों में सुरक्षित है। इसलिए इसमें किसी शब्द या अक्षर तो क्या किसी मात्रा को भी बदला नहीं जा सकता। दुनिया चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, हालात कुछ भी हो जाएं, इस्लाम के नियम ऐसे हैं कि उनकी

उपयोगिता हर हाल में बनी रहेगी।

क़ुरआन की वर्णनशैली अद्भुत है, जिसे पढ़ते हुए दिल कह उठता है कि यह किसी इन्सान की वाणी नहीं है। क़ुरआन का चमत्कार है कि मानव-जीवन के प्रत्येक विषय पर विवेचना करते हुए भी उसमें कहीं कोई टकराव या विरोधाभास नहीं। पिछले डेढ़ हज़ार वर्षों में कितना कुछ बदल गया मगर उसके नियम व सिद्धांत कभी ग़लत साबित नहीं हुए। अरब के रेगिस्तानी नागरिकों से लेकर बाद के अफ़्रीक़ी, एशियाई और यूरोपीय देशों और आज के प्रगतिशील समाज के मार्गदर्शन में क़ुरआनी सिद्दांत कभी पीछे नहीं रहे। हमें विश्वास है कि विश्व की वर्तमान जटिल समस्याओं का समाधान भी क़ुरआनी मार्गदर्शन से ही संभव है।



क़ुरआन वास्तव में ईश्वर की ओर से मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यह किसी देश या जाति की सम्पत्ति नहीं, यह मानवता की साझी धरोहर है।

''आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन (धर्म) पूरा कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत (अनुकम्पा) पूरी कर दी है और इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। (अतः हराम और हलाल की जो पाबंदियां तुम पर लगाई गई हैं उनका पालन करो।)'' (क़ुरआन, 5:3)



लघुकथा

वीर की उपाधि

असग़र वजाहत

दुकानें और मकान ताश के पत्तों की तरह गिर और जल रहे थे। आकाश काला और ज़मीन लाल हो गई थी। दंगाई तरह-तरह के हथियार लिए, नारे लगाते घरों के दरवाज़े तोड़ रहे थे। इतनी आवाज़ें थी कि कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। लूटमार करने से ज़्यादा दंगाई हत्या करने का पूरा मज़ा ले रहे थे। जब उन्हें कोई लड़की या औरत मिल जाती थी तब उनका उत्साह बढ़ जाता था।

एक घर से उन्हें एक सुंदर लड़की मिल गई। लड़की को दंगाइयों ने पकड़ लिया। वह चीख़ने-चिल्लाने लगी, पर किसी ने उसकी कोई बात न सुनी उसे घसीट कर बाहर निकाला गया। दंगाइयों ने उसके कपड़े फाड़ डाले। उसके साथ मारपीट की। फिर सबके सामने दंगाई उसके साथ बलात्कार करने लगे।

भीड़ तमाशा देखकर ख़ुश होने लगी। गालियों की आवाज़ में लड़की का रोना और चीख़ना दब गया था। बलात्कार करने वालों की एक लाइन लग गई थी। बलात्कार करने के बाद जो बलात्कारी वीर खड़ा होता था, उसे फूलों की माला पहनाई जाती थी और उसे एक प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता था। उसके सम्मान में संगीत भी बजाया जाता था।

लड़की बेहोश हो चुकी थी। वह अगर मर भी गई होती तो उससे बलात्कारियों के ऊपर कोई फ़र्क़ न पड़ता।

यह सब हो ही रहा था कि अचानक एक युवक आया और उसने कहा, यह लड़की मेरी पत्नी है। दंगाई उसकी तरफ़ झपटे। उसने जल्दी से अपना धर्म बताया, जो वही था जो दंगाइयों का था।



यह सुनकर दंगाई बहुत घबरा गए, लेकिन लड़की के पति ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा-'चूंकि आप लोगों ने मेरी पत्नी के साथ यह समझ कर बलात्कार किया है कि वह दूसरे धर्म की है, इसलिए मैं आप लोगों को माफ़ करता हूं।'

यह सुनकर बलात्कारी बहुत प्रसन्न हो गए और युवक की जय-जयकार होने लगी। फूलों की सबसे मोटी माला युवक के गले में डाली गई और युवक को बलात्कारी वीर की उपाधि दी गयी। ■■

“

जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे अलग हैं- जारी रहने वाला सदक़ा या ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे।

(हदीस : मुस्लिम)

”

A Well Wisher

Abdul Wadood Khan

Mumbai

न्याय एवं नारीत्व का अपमान





ज्वलंत



डॉ. प्रदीप कुमार

हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस महोत्सव के मूल में ब्रिटिश हुकूमत से देश की आज़ादी है। विदेशी ताक़त से टकराकर आज़ाद होने का उत्सव तो हम हर वर्ष मनाते ही हैं, लेकिन यह वर्ष एक और कारण से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक ओर जब पूरा देश आज़ादी के इस इस अमृत महोत्सव के उल्लास और उमंग में था तो दूसरी ओर गुजरात के गोधरा ज़िले से आई एक ख़बर ने हमें देश के भीतर की अराजक व संकीर्ण मानसिकता से भरी ताक़तों से घिरे होने का एहसास कराया। यह भी एहसास हुआ कि बाहरी ताक़तों से तो हम देशवासी फिर से एकजुट होकर लड़ सकते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाली जो ताक़तें देश के भीतर विराजमान हैं उन से लड़ना आसान नहीं है।

यह ख़बर थी बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार और नरसंहार मामले के 11 दोषियों की दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक रिहाई की। बताया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गुजरात की माफ़ी नीति के तहत इनकी रिहाई हुई। यह फ़ैसला दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक इसलिए है, क्योंकि बिलक़ीस बानो का मामला कोई सामान्य मामला नहीं था।

वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान 3 मार्च को दाहोद ज़िले के अपने गांव से बिलक़ीस बानो जब परिवार के साथ भाग रही थीं तब उनके गांव के ही कुछ लोगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों सहित 14 लोगों की हत्या

कोई यह नहीं कह सकता कि ये जघन्य अपराध नहीं था या उन्हें ग़लत सज़ा दी गई। इसलिए देशभर में जो लोग महिलाओं के प्रति संवेदशीलता रखते हैं, न्याय के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, वे लोग इस रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं। सच पूछा जाए तो इन अपराध के दोषियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन दलीलों और ताक़तों के दम पर फांसी पर लटकाए जाने वाला वाला जघन्य अपराध आजीवन कारावास पर लटक गया या कहें तो लटका दिया गया।



कर दी थी। पीड़िता की तीन साल की नन्ही बच्ची को भी दीवार से पटक कर मार दिया गया था। पीड़िता उस समय पांच महीने की गर्भवती थी। गर्भ में जो बच्चा था उसकी भ्रूण हत्या हुई।

पूरा घटनाक्रम इतना अमानवीय था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। केस चलने के दौरान भी बिलकीस बानो को तरह-तरह से तंग किया गया। उसे धमकियां दी गईं जिससे परेशान होकर उसने मामले को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर करवाया। इस मामले में पीड़िता को घटना के बाद इंसाफ़ पाने की जिद्दोजुहद में भी प्रताड़ना के लंबे दौर से गुज़रना पड़ा था। बाक़ायदा साक्ष्य मिटाने के भी प्रयास किए गए थे जिनमें पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को दोषी पाया गया था। अंततः आरोप सिद्ध हुए और सभी अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

सच पूछा जाए तो इन अपराध के दोषियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन दलीलों और ताक़तों के दम पर फांसी पर लटकाए जाने वाला वाला जघन्य अपराध आजीवन कारावास पर लटक गया या कहें तो लटका दिया गया।

बलात्कार और हत्या को एक जघन्य अपराध माना जाता है और यह अपराध तब और भी जघन्य हो जाता है जब वह पूरे समुदाय या समाज पर प्रभाव डालने हो। यह एक ऐसा अपराध होता है जो न केवल उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ किया जाता है, बल्कि उसकी सामुदायिक पहचान के कारण भी ऐसा किया जाता है।

अपराध की गंभीरता का आकलन करते समय, सज़ा सुनाते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, और

निश्चित रूप से छूट देने के चरण में इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे देश में ऐसा क़ानून है जिसके अनुसार यदि आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा कोई अपराधी 14 साल जेल में बिता चुका होता है तो उसे सज़ा में छूट दी जा सकती है, परंतु साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दुष्कर्म एवं हत्या की सज़ा भुगत रहे अपराधी इस छूट के पात्र नहीं होंगे। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताज़ा गाइडलाइन भी साफ़ कहती है कि आजीवन कारावास पाए क़ैदियों और बलात्कारियों को माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद गुजरात सरकार ने इन अपराधियों को छोड़ने का फ़ैसला किया जो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को तगड़ा झटका है।

यह भी पता लगा है कि सज़ा माफ़ी के लिए बनाई गई जिस कमेटी ने इन्हें 14 साल की सज़ा भुगतने के बाद रिहा करने का आदेश दिया उसके 10 सदस्यों में से 5 भाजपा से जुड़े हुए हैं और दो सदस्य तो भाजपा के विधायक हैं। इसके अलावा इस पैनल में जिलाधिकारी, एसपी और जेल अधीक्षक थे-जो सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं। तो क्या और कैसे हुआ होगा, एकदम साफ़ है।

इस मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि शर्मनाक पहलू यह है कि गोधरा की उप जेल से रिहा होने के बाद बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों का माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें मिठाई खिलाई गई। सवाल उठता है कि क्या कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले अपराधियों का स्वागत करने की अनुमति दे सकता?

इसी तरह भाजपा के एक नेता ने कहा कि जो छोड़े गए वे संस्कारवान व्यक्ति थे और ब्राह्मण थे। भाजपा नेता का यह बयान जघन्य अपराध के दोषियों को बचाने वाला है। सवाल यह है कि क्या दुष्कर्म एवं हत्या करने वाला व्यक्ति संस्कारवान माना जा सकता है? जबकि अदालत में उसका दोषपूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका हो।

कोई यह नहीं कह सकता कि ये जघन्य अपराध नहीं था या उन्हें ग़लत



सज़ा दी गई। इसलिए देशभर में जो लोग महिलाओं के प्रति संवेदशीलता रखते हैं, न्याय के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, वे लोग इस रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं।

यही कारण है कि इस मामले में एक उल्लेखनीय पहलू भी हमारे सामने अया जिसे नज़रअंदाज़ करना शायद उचित न होगा। बिलक़ीस बानो मामले के दोषियों की रिहाई मामले में जहां एक ओर भाजपा के प्रमुख नेताओं ने चुप्पी साध ली, वहीं तमिलनाडु की भाजपा नेता ख़ुशबू सुंदर ने गुजरात सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना पक्ष रखा। भाजपा कार्यकारी समिति की सदस्य ख़ुशबू सुंदर ने पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई। ख़ुशबू सुंदर से पहले भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बिलक़ीस बानो केस पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि अपराधियों का इस तरह सत्कार करना ठीक नहीं है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में संभवतः इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में इन नेताओं का अपनी पार्टी की सरकार के फ़ैसले के विपरीत कोई भी बात कहना बड़ी बात है।

ख़ुशबू सुंदर ने ट्वीट किया, "एक महिला, जिसका रेप होता है, मारपीट और क्रूरता की जाती है और उसकी आत्मा को जीवन भर के लिए ज़ख़्मी कर दिया जाता है, उसे न्याय मिलना चाहिए। कोई भी शख़्स जो इसमें शामिल रहा है, उसे मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं तो यह मानवजाति और नारीत्व का अपमान है। बिलक़ीस बानो या किसी भी महिला को राजनीति और विचारधाराओं से परे समर्थन की ज़रूरत है।"

इस मामले में दोषियों की रिहाई के विरुद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी है। शीर्ष स्तर पर इस मामले का संज्ञान लिया जाना न केवल इसलिए ज़रूरी है कि यह एक जघन्य अपराध था, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि महिलाओं के प्रति बर्बरता का परिचय देने वालों को रिहा कर सम्मानित करना नैसर्गिक न्याय की भावना के बिल्कुल विपरीत है। ■■

(लेखक 'विवेकानंद कॉलेज ऑफ़ लॉ' अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं)

"कमज़ोर और विधवा महिला और मुहताज की सहायता करने के लिए दौड़-धूप करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है या रात्रि में खड़े रहने वाले इबादतगुज़ार या दिन में रोज़ा रखने वाले की तरह है।"

(हदीस: मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)



A Well Wisher

Abul Aala Khan

Hyderabad



निशुल्क सुविधाओं को 'मुफ़्त रेवड़ी' कहना

एक जनकल्याणकारी राज्य का अपमान

समसामयिक

संपादन प्रभाग

कुछ राज्यों में जनता को मिल रही सस्ती अथवा निशुल्क सुविधाओं की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मुफ़्त की रेवड़ी' कहकर आलोचना की। नरेन्द्र मोदी के बयान के बाद जनता को मिलने वाली सस्ती या निशुल्क सुविधाओं को लेकर एक लंबी बहस शुरू हो गयी कि यह देशहित में हैं या देशहित के ख़िलाफ़। अनेक अर्थशास्त्री इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की तलाश में जुट गये। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यहां यह ग़ौर करने वाली बात है कि जनकल्याण की योजनाओं को मुफ़्त की रेवड़ी वह सरकार बोल रही है, जिसने महंगाई और बेरोज़गारी को भयानक स्तर तक बढ़ा रखा है और जिस पर जनता की सरकार होने का नहीं, बल्कि कारपोरेट की सरकार होने का टैग लगा हुआ है।

मामले को इतना तूल दिया गया कि मानों नागरिकों को मिलने वाली कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ कोई अपराध हो। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उसने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित सभी हितधारकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा और एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करने के लिए कहा।

इस मामले में एक ओर जहां

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कुछ कल्याणकारी योजनाओं को 'मुफ़्त रेवड़ी' बताने वाली जनहित याचिका में कोई दम नहीं है और यह संविधान में दर्ज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर हमला है तो वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने नरेन्द्र मोदी पर विपक्ष शासित राज्यों में चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का आरोप लगाया।

ग़ौरतलब है कि यह सरकार हर साल दो करोड़ रोज़गार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर पूरी तरह नाक़ाम हो चुकी है, इसीलिए वह अब जनकल्याण की योजनाओ की नकारात्मक छवि बना रही है। सरकार की कारपोरेट को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण आम जनता की आर्थिक कमर टूट चुकी है। इसकी गवाह है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक़ 2021 में 1,64,033 लोगों ने ख़ुदकुशी की, जिनमें हर चौथा आदमी दिहाड़ी मज़दूर था। दिहाड़ी मज़दूरों के ख़ुदकुशी करने का अर्थ आर्थिक तंगी या बेरोज़गारी से परेशान व्यक्ति।

बहुत स्पष्ट है कि ख़ुदकुशी के इन आंकड़ों में एक बड़ी तादाद बेरोज़गारी से परेशान लोगों की भी है। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस सरकार द्वारा चलायी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर तंज़ करते हुए उसको 'कांग्रेस की ख़ैरात वाली अर्थव्यवस्था' का नाम दिया था।

मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, पीएम स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं की ज़मीनी की सच्चाई भी संदेह के घेरे में है । इन योजनाओं की भी ज़मीनी सच्चाई जांची जानी चाहिए। इन योजनाओं का जितना प्रचार है, ज़मीनी स्तर पर वे उतनी खड़ी हैं या नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। कई योजनाओं में योजना से ज़्यादा मोदी का प्रचार किया जा रहा है।

जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष शासित राज्य अपनी कल्याणकारी योजनाएं न चलाएं। वे अपने आवंटन केन्द्र द्वारा संचालित परियोजनाओं के साथ मिलाएं और केन्द्र ही राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा, जैसा कि भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। यानी जिन राज्यों में ग़ैर-भाजपा सरकार है, वहां भी राज्य सरकार के धन से मोदी का ही प्रचार हो। यही कारण है कि मोदी ने राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं को मुफ़्त की रेवड़ी कहकर बदनाम करने की कोशिश की।

सवाल यह भी है कि क्या आम जनता और ग़रीबों के लिए चलाई जा रही निशुल्क जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 'मुफ़्त की रेवड़ी' शब्द का प्रयोग किया जाना एक जनकल्याणकारी राज्य का अपमान और उसके नागरिकों के सम्मान को चोट पहुंचाना नहीं है?

मोदी सरकार की नीतियों में कारपोरेट पर करदाताओं का पैसा लुटाना रेवड़ी नहीं, लेकिन जनकल्याण की योजनाओं पर पैसा ख़र्च करना रेवड़ी है। गत वर्ष इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मोदी सरकार में अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच 21 सरकारी बैंकों ने कारपोरेट के 3 लाख 16 हज़ार करोड़ रुपये के लोन माफ़ किये। लोन माफ़ करने से पैदा आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकार ने करदाओं की कमाई के हज़ारों करोड़ रुपये बैंकों में डाले। हालांकि यह पैसा जो परोक्ष रूप से पूंजीपतियों की जेब में गया उसका इस्तेमाल नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए ख़र्च किया जा सकता था। लेखक अनिल ससी ने लिखा था कि देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का जो कुल बजट है उसका दोगुना लोन बैंकों ने माफ़ कर दिया।

वर्ष 2018-19 में इन तीनों मद के लिए बजट में 1 अप्रैल 2014 से अप्रैल वर्ष 2018 के बीच बैंकों ने मात्र 44,900 करोड़ रुपये की वसूली की, बाक़ी सब माफ़ कर दिया। इसके अलावा पूंजीपतियों को कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट भी दी गयी, जिससे सरकार को भारी नुक़सान हुआ। दी ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि टैक्स में छूट देने के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में 87 हज़ार 835 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ, वहीं वर्ष 2020-21 में 96 हज़ार 400 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ। यह उस सरकार का हाल है जो जन कल्याण पर खर्च की जाने वाली राशि को मुफ़्त की रेवड़ी और करदाताओं पर बोझ बता कर लोगों को गुमराह कर रही है।

सवाल यह भी है कि क्या आम जनता और ग़रीबों के लिए चलाई जा रही निशुल्क जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 'मुफ़्त की रेवड़ी' शब्द का प्रयोग किया जाना एक जनकल्याणकारी राज्य का अपमान और उसके नागरिकों के सम्मान को चोट पहुंचाना नहीं है? ■■



बेलगाम प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति

मंथन



जितेंद्र गौतम

क्या भाजपा के नेता बेलगाम हो गए हैं? क्या उन्हें किसी का डर नहीं रहा? क्या उन्हें लगता है कि वे कुछ भी बोलते रहेंगे और पार्टी उनका बचाव करती रहेगी? क्या उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करते रहेंगे और पार्टी उनका बचाव करती रहेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो भाजपा के नेताओं के बयानों और कार्यों को देखकर उठते हैं। भाजपा ने वही काम किया, जिसके लिए पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित किया गया था? राजा सिंह ने कोई सबक़ नहीं सीखा कि नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश-विदेश में कितना बवाल हुआ था? धार्मिक मामलों में कोई टीका-टिप्पणी करने के पहले हर किसी को और ख़ासकर हमारे नेताओं को तो अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ नेता संवेदनशील मामलों में भी संभल कर बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझते।

हालांकि भाजपा ने राजा को पार्टी से निलंबित कर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी जो ज़हरीले बयान दे रहे हैं, लेकिन यह घटना बता रही है कि एक-दूसरे के धर्मों के ख़िलाफ़ टीका-टिप्पणी और आपत्तिजनक बातें करने की घातक प्रवृत्ति अब हमारे नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं में पनप चुकी है।

आख़िर हमारे नेता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनकी बदज़ुबानी समाज को बांट रही है और इससे अशांति और टकराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। इससे पहले पूरे देश ने देखा कि नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणियों से जो प्रतिक्रियाएं हुईं, उसका नतीजा क्या निकला? नूपुर की अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणियों पर सर्वोच्च

न्यायालय ने भी गहरी नाराज़गी जताई थी।

इसके बाद भी अगर राजा ने भड़काऊ बातों वाला वीडियो जारी करने का दुस्साहस किया तो निश्चित ही इसके पीछे उनके मन में सुरक्षा का कोई न कोई ऐसा भाव रहा होगा जिसकी वजह से वे ऐसा करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाए। विवादित बयानों के ज़रिये चर्चा में आने का अवसर खोजने वाले नेता न केवल अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, बल्कि समाज का माहौल ख़राब करने का भी काम करते हैं।



नूपुर शर्मा प्रकरण का हश्र देख लेने के बाद भी भाजपा विधायक टी. राजा ने अगर भड़काऊ बातों वाला वीडियो जारी करने का दुस्साहस किया तो निश्चित ही इसके पीछे उनके मन में सुरक्षा का कोई न कोई ऐसा भाव रहा होगा जिसकी वजह से वे ऐसा करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाए। विवादित बयानों के ज़रिये चर्चा में आने का अवसर खोजने वाले नेता न केवल अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, बल्कि समाज का माहौल भी ख़राब करने का भी काम करते हैं।

नूपुर शर्मा प्रकरण का हश्र देख लेने के बाद भी भाजपा विधायक टी. राजा की ओर से वैसा ही बयान आना यह भी बताता है कि पार्टी अपने अंदर के ऐसे तत्वों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाई है। मुश्किल यह है कि अब ऐसा करने वाले बेलगाम होते जा रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं और धर्मगुरु भी। यह सिलसिला ज्ञानवापी प्रकरण के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है।

सवाल है कि नेताओं की बदज़ुबानी पर लगाम कैसे लगे? जानते-बूझते भी आख़िर क्यों ऐसे नेता इस तरह की बातें करते हैं जो लोगों को हिंसा के लिए उकसाती हैं? चुनावों के दौरान तो अक्सर देखने में आता है कि छोटे-बड़े सभी नेता शर्म-लिहाज भूल जाते हैं और एक-दूसरे के धर्मों को नीचा दिखाने में ज़रा संकोच नहीं करते। बड़ों का ऐसा गरिमाहीन आचरण ही छोटों का मनोबल बढ़ाता है।

इस पर रोक लगाने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है साथ ही इस प्रकार की प्रवृत्ति का बढ़ना क़ानून के शासन के लिए एक चुनौति है इसलिए ऐसे मामलों में सरकार की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में एक ज़रूरी पक्ष यह भी है कि जो भी एक-दूसरे के धार्मिक प्रतीकों पर अनुचित टिप्पणी करे, उनके ख़िलाफ़ समान रूप से कठोर कार्रवाई हो।

जब एकतरफ़ा कार्रवाई होती है तो न केवल समाज को ग़लत संदेश जाता है, बल्कि क़ानून के शासन का भी मखौल बनता है। इसके साथ उन तत्वों को बल भी मिलता है, जो अराजकता का सहारा लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। यदि पुलिस प्रशासन बेतुके बयान देने वालों अथवा अराजक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मामले में अलग-अलग मापदंड अपनाएगा तो इससे क़ानून हाथ में लेने वाले तत्वों का दुस्साहस बढ़ेगा ही।

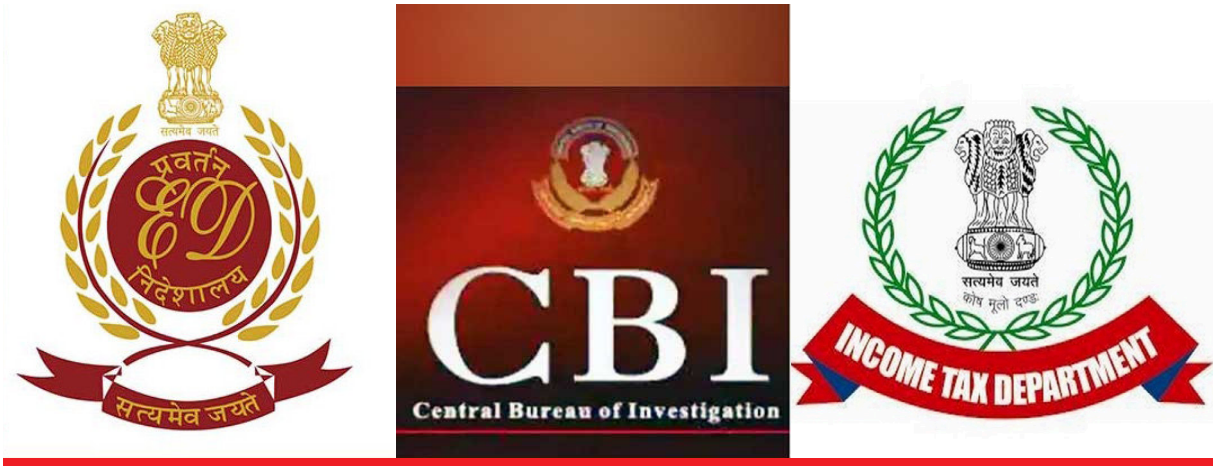
सबसे बड़ा सवाल यह है कि, ऐसे मामलों के कारण दुनिया भर में हमारी छवि कैसी बन रही है और ऐसी प्रवृत्ति के बढ़ने से भविष्य में हमें कैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे? इस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है, लेकिन लगता नहीं कि हमारे नेताओं को इन बातों की ज़्यादा गंभीरता है। तात्कालिक चुनावी लाभ और अपनी आत्म-संतुष्टि के लिए नेताओं के यह ज़हरीले और अनर्गल प्रलाप आख़िर समाज को किस दिशा में ले जाएंगे? ■■

राजनीति



ज़ईमुद्दीन अहमद

भ्रष्टाचारी विपक्ष?



खुलेआम कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के हाथ का खिलौना बन गई हैं। सरकार जिस तरह और जब चाहे विपक्षी दलों पर इनका इस्तेमाल कर रही है।

विपक्षी दल प्रवर्तन निदेशालय को मोदी का हथियार मानने लगे हैं और खुलेआम कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के हाथ का खिलौना बन गई हैं। सरकार जिस तरह और जब चाहे विपक्षी दलों पर इनका इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप में कुछ सच्चाई इसलिए भी नज़र आती है क्योंकि ईडी ने पिछले कुछ वर्षों में कई विपक्षी नेताओं के घरों पर छापा मारा है और नोटिस जारी किए। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल के मुखिया से भी ईडी ने पूछताछ की है। फिर भाजपा के लंबे समय से सहयोगी रहे शिवसेना के नेता संजय राऊत को ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ़्तार किया गया। बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में भी हाल के दिनों में विपक्ष और भाजपा के राजनीतिक विरोधियों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली।

ये और इन जैसी कई अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं जिनसे यह तस्वीर उभरती है कि ईडी या सीबीआई वास्तव में सरकार के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईडी अब मोदी का पर्याय बन

गया है।

क्या वाक़ई ऐसा है कि सरकार विपक्ष को कमज़ोर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है? इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा विपक्ष दूध का धुला हुआ है या वो निर्दोष है या इन लोगों ने कोई भी ग़लत काम नहीं किया है, नहीं! बल्कि यह है कि जिसने भी भ्रष्ट तरीक़े से संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच कर उनको उनके किए की सज़ा दी जानी चाहिए।

सवाल उठता है कि क्या सिर्फ़ विपक्षी लोग ही हैं जिन्होंने अवैध तरीक़े से संपत्ति अर्जित की है और इसी लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है? क्या सत्ताधारी दल के सदस्य किसी गबन या घोटाले में शामिल नहीं हैं? और अगर हैं तो क्या उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है? किसी एजेंसी या संस्था का दुरुपयोग ही उसके विश्वास और उसकी विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है। इस तरह के राजनीतिक प्रतिशोध से न केवल राजनीतिक नुक़सान होता है बल्कि लोकतंत्र को भी गंभीर रूप से ख़तरा होता है।

दरअस्ल, इन एजेंसियों को बिना किसी सरकारी दबाव के अपना काम करना चाहिए। उनसे यह आशा की जाती है कि वे किसी के दबाव को स्वीकार न करें, एकतरफ़ा कार्रवाई न करें, किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में काम न करें, लेकिन देखा यह गया है कि सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को किनारे लगाने के लिए इन एजेंसियों द्वारा डराकर या तो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है या फिर उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। इन एजेंसियों के बारे में कुछ आंकड़े हैं जो इन एजेंसियों के पिछले अठारह-बीस वर्षों के प्रदर्शन को दिखाते हैं।

सवाल उठता है कि क्या सिर्फ़ विपक्षी लोग ही हैं जिन्होंने अवैध तरीक़े से संपत्ति अर्जित की है और इसी लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है? क्या सत्ताधारी दल के सदस्य किसी गबन या घोटाले में शामिल नहीं हैं? और अगर हैं तो क्या उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है? किसी एजेंसी या संस्था का दुरुपयोग ही उसके विश्वास और उसकी विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है। इस तरह के राजनीतिक प्रतिशोध से न केवल राजनीतिक नुक़सान होता है बल्कि लोकतंत्र को भी गंभीर रूप से ख़तरा होता है।

यदि हम 2004 से 2014 की अवधि और 2014 से 2022 तक की अवधि को देखें, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। अगर 2014 से 2022 की अवधि की तुलना 2004 से 2014 से की जाए तो पता चलेगा कि ईडी के हमलों में 27 गुना वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार 2014-2015 की अवधि में जहां ईडी द्वारा दर्ज मामलों की कुल संख्या 1093 थी, वहीं 2021-2022 की अवधि में यह संख्या बढ़कर 5493 हो गई। यहां सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों का कहना है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए मामले दर्ज कर रही है। यही कारण है कि इस तरह के मामले बढ़े हैं। पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, इसलिए मामले भी दर्ज नहीं हुए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार को सहन न करने का प्रमाण है। ज़ाहिर है उनका तर्क सही लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामले दर्ज करता है।

इस अधिनियम के तहत किसी भी वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए जाते हैं। जब से यह क़ानून लागू हुआ है तब से अब तक सिर्फ़ 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है, यानी जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है उनमें से केवल 0.5 प्रतिशत को ही दोषी क़रार दिया गया है। इससे पता चलता है कि ईडी अपने काम में कितनी गंभीर है और मोदी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म

करने को लेकर कितनी गंभीर है।

जैसे ही छापामारी की सूचना मिलती है फ़ौरन ही मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, हर संभव तरीक़े से बदनाम किया जाता है, पूछताछ की जाती है और फिर गिरफ़्तार किया जाता है, ज़मानत भी नहीं दी जाती और इस प्रकार मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। तब यह भी कहा जाता है कि ऊपर से सीधे आदेश जारी कर दिए गए हैं, इसलिए कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भ्रष्टाचार से कमाए गए धन का एक-एक पैसा वसूल किया जाएगा आदि-आदि। तभी अचानक ख़बर आती है कि उक्त व्यक्ति भाजपा में शामिल हो गया। ऐसा लगता है कि भाजपा न हुई गंगा नदी हो



गई, जिसमें शामिल होकर सारे पाप धुल जाते हैं।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ कब केस दर्ज किए जा रहे हैं, हमें इसके समय पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसे मामलों में ऐसे समय में पूछताछ की जाती है जब कोई राजनीतिक नेता किसी राज्य में चुनाव के क़रीब होता है या वह किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी में होता है जो गठबंधन सरकार का हिस्सा होती है और जो अपनी पार्टी से अलग होकर अपनी सरकार गिरा रहा होता है। फिर वही भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी बनकर भाजपा सरकार का हिस्सा बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ईडी उन राज्यों में पहुंचती है जहां चुनाव होने हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों के घरों पर छापे मारे गए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि थे। फिर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के क़रीबी सहयोगियों पर हमला किया गया। ये और इसी तरह की अनगिनत घटनाएं साबित करती हैं कि भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ ईडी का इस्तेमाल किया है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव ख़त्म होते ही छापेमारी भी ख़त्म हो जाती है। उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमों की न तो कार्यवाही आगे बढ़ती दिख रही है और न ही कोई फ़ैसला सुना जा रहा है।

ग़ौरतलब है कि ईडी की लिस्ट में सिर्फ़ उन लोगों के नाम होंगे जो विपक्ष या उनके क़रीबी सहयोगियों से संबंधित हैं। सत्ताधारी दल या उनके किसी सहयोगी का नाम नहीं लिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए काम करती है और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। केंद्रीय एजेंसियों का इस प्रकार बदले की भावना से इस्तेमाल किया जाना किसी भी रूप में देशहित में नहीं है।

■■

क्या वाक़ई ऐसा है कि सरकार विपक्ष को कमज़ोर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए ईडी या सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है? इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा विपक्ष दूध का धुला हुआ है या वो निर्दोष है या इन लोगों ने कोई भी ग़लत काम नहीं किया है, नहीं! बल्कि यह है कि जिसने भी भ्रष्ट तरीक़े से संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच कर उनको उनके किए की सज़ा दी जानी चाहिए।

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो,
(अल्लाह के आगे) झुको और
सजदा करो, और अपने रब की बन्दगी
करो, और अच्छे कर्म करो, इसी से
उम्मीद की जा सकती है कि तुमको
सफलता प्राप्त हो ।
(क़ुरआन)

A Well Wisher

Abu Rehan Khan

[Mumbai]

भारत-भावना के प्रतीक



गांधी ज्यंती पर विशेष



नईम अलहिन्दी

प्रत्येक वर्ष देश भर में 2 अक्तूबर को गांधी जयंती बड़ी धूम-धाम से मनाई जाती है। गांधी के विचारों के सम्मान में 2 अक्तूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की भूमिका, उनका व्यक्तित्व और एक नेता के रूप में देश-दुनिया में उनकी महानता की ऊंचाई किसी परिचय का मोहताज नहीं। 30 जनवरी 1948 समय लगभग पांच बजकर 15 मिनट, जब अस्सी साल के बूढ़े गांधी लोगों का सहारा लेकर एक मैदान पार कर रहे थे, एक आदमी ने उनके कमज़ोर से जिस्म में तीन गोलियां उतार दीं। यह जो आदमी था उसको इस बूढ़े गांधी से नफ़रत थी क्या? इस कमज़ोर से जिस्म से अस्सी साल पुराने जिस्म से नफ़रत थी? क्या वह उन्हें मारना चाहता था या कुछ और मारना चाहता था? वह उस विचार को, उस सोच को, उस स्वप्न को, उस उम्मीद को मारना चाहता था, जिसका नाम गांधी था।

स्वप्न, उम्मीद, उसूल और सच्चाइयां गोलियों से नहीं मरतीं। सो गांधी ज़िन्दा हैं। यह बात उन लोगों को ज़्यादा पता है जिन्हें गांधी से नफ़रत है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे गांधी जिनके हर आदर्श, हर उसूल के ये ख़िलाफ़ हैं, बुराई कर सकें। अभी भी उन्हें राजघाट पर हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है।

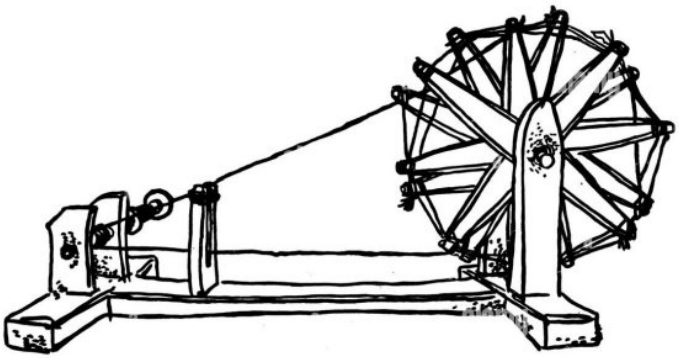
ये वो चूहे हैं जो गांधी के पैर धीरे-धीरे कुतर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका क़द कम कर लेंगे। पर ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए कि वे गांधी किसी दिल में कम, किसी दिल में ज़्यादा, किसी सोच में कम, किसी सोच में ज़्यादा हर हिंदुस्तानी में ज़िन्दा हैं, लेकिन, साथ ही साथ यह भी स्पष्ट रहे कि सिर्फ़ गांधी ही नहीं ज़िन्दा हैं।

गांधी को मरने वाला गोडसे, जिसे कुछ दिनों में फांसी हो गयी थी वो भी ज़िन्दा है, इसलिए कि वह भी एक सोच था, वो भी एक विचारधारा था। वह सिर्फ़ एक व्यक्ति नहीं था। एक व्यक्ति ने गोली नहीं मारी थी। एक सोच ने, एक

विचार ने, एक विचारधारा ने गोली मारी थी और वो भी ज़िन्दा है।

आज भी देश के हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर सड़क पर कहीं एक गांधी चल रहा है और कहीं एक गोडसे पिस्तौल लिए खड़ा है। वो हत्या हो रही है, होती रहती है, लेकिन गोडसे की गोलियां नहीं ख़त्म होतीं और गांधी की ज़िन्दगी नहीं ख़त्म होती।

गांधी को हम तब तो नहीं बचा पाये थे, लेकिन अब हमें गांधी को बचाना है। इसलिए कि क़ातिल तो अब भी लगा हुआ है और ये क़ातिल वो विचारधारा है जो गांधी के ख़िलाफ़ थी और वो ताक़तवर होती जा रही है। हमें उससे लड़ना है।



नाथूराम गोडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी, लेकिन अब कुछ लोग उनकी आत्मा की हत्या के साथ-साथ अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और भारत की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले कुछ अतिवादियों द्वारा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रतीकात्मक पुतले में गोली मारी गयी थी। वर्ष 2017 में हिन्दू महासभा ने ग्वालियर में गोडसे को समर्पित एक मंदिर भी बनाया था।

नाथूराम गोडसे जिसने एक निहत्थे बूढ़े का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसे हत्यारे को महिमामंडित व प्रतिष्ठित करने के प्रयास तो शर्मनाक है ही, ऐसे प्रयासों पर सत्ता में बैठे लोगों का समर्थन भी कम शर्मनाक और ख़तरनाक नहीं।

गांधी आज भी कितने प्रासंगिक हैं? इस सवाल का जवाब उनका जीवन चरित्र है, जिसे हम सबको जानने और समझने की ज़रूरत है। गांधी जी मानते थे अहिंसा और सहिष्णुता के लिए बड़े स्तर के साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। हिंसा और आतंकवाद से प्रभावित दुनिया, युद्ध के दौर से गुज़र रही दुनिया, गृहयुद्ध जैसे हालात से जूझती यह दुनिया और मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ती इस दुनिया को गांधी के बताए सत्य, अहिंसा, स्वराज और आत्म-निर्भरता के मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है। गांधी जी के विचार विशुद्ध रूप से भारत की आत्मा और उसकी भावना के अनुकूल थे।

गांधी के पढ़ाए पाठ पर जब मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने बेझिझक स्वीकार किया कि वे गांधी के सिद्धांतों और व्यवहार से प्रेरित रहे हैं। आज गांधी के लिए सही श्रद्धांजलि उनके बताए मार्ग को अपनाकर ही दिया जा सकता है, जिसमें विश्व शांति का पाठ और लोक-कल्याण का मंत्र भी छिपा है। गांधी जी कहते थे-"ख़ुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।"

■■

गांधी के पढ़ाए पाठ पर जब मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने बेझिझक स्वीकार किया कि वे गांधी के सिद्धांतों और व्यवहार से प्रेरित रहे हैं। आज गांधी के लिए सही श्रद्धांजलि उनके बताए मार्ग को अपनाकर ही दिया जा सकता है, जिसमें विश्व शांति का पाठ और लोक-कल्याण का मंत्र भी छिपा है। गांधी जी कहते थे-"ख़ुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।"

दोस्ती की अनोखी मिसाल



उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में गत दिनों गणेश विसर्जन के दौरान दोस्ती की अनोखी मिसाल देखने को मिली। विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूब रहे अपने दोस्त पीयूष (17) को बचाने की खातिर जान की परवाह किए बगैर इसरार (19) तालाब में कूद पड़ा। हालांकि, दुखद यह रहा कि दोनों की जान नहीं बच सकी।

दरअसल, गणेश विसर्जन के अवसर पर इसरार भी पीयूष के साथ था। पीयूष तालाब में उतर गया। इसरार बाहर चबूतरे से विसर्जन देखता रहा। इस बीच, पीयूष गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। दोस्त को डूबते देख इसरार तालाब में कूद पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। हालांकि, पीयूष को नहीं बचा पाया, पर जान देकर दोस्ती अमर कर गया इसरार। शव को बाहर निकाला गया तो पीयूष के हाथ में इसरार का हाथ था। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो उठीं। पीयूष और इसरार के परिवार पीढ़ियों से पड़ोसी हैं।

चिंता के पायदान पर

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेश्नल का मानना है कि भारत नियंत्रित कश्मीर में पिछले तीन सालों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति गंभीर हुई है। संस्था ने इस पर चिंता जताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि कहा कि जम्मू व कश्मीर में आर्टिकल-370 हटाने के बाद से तीन वर्षों में सिविल सोसाइटी के लोग, पत्रकार, वकील और इलाक़े में मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार पूछताछ, यात्रा की पाबंदियों और मीडिया के लिए कठोर और दंडात्मक नीतियों का सामना कर रहे हैं। भारत में एमनेस्टी इंटरनेश्नल बोर्ड के प्रमुख आकार पटेल ने रिपोर्ट में कहा कि तीन वर्षों में जम्मू व कश्मीर में सिविल सोसाइटी और मीडिया पर भारत सरकार की ओर से ज़ालिमाना क्रैक डाउन किया जा रहा है जो मतांतर रखने वालों को कुचल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारी आलोचना और विरोध के आवाज़ों को निशाना बना रहे हैं और कठोर कार्रवाई का निशाना बनाकर लोगों को चुप कराया जा रहा है। इसकी वजह से इलाक़े के लोगों में भय और बेचैनी है।



भारत सरकार ने मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश करके कश्मीर से ख़बरों के बाहर आने पर अंकुश लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालिया दिनों कश्मीर में सशस्त्र संगठनों के हाथों लोगों को ग़ैर-क़ानूनी रूप से क़त्ल किए जाने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। संस्था ने विश्व समुदाय से मांग की है कि वह मानवाधिकारों के भयानक उल्लंघन के लिए भारत सरकार की जवाबदेही तय करे।

गुजरात में माहौल ख़राब करने का आरोप



गुजरात में एक परिवार के तीन सदस्यों के इस्लाम अपनाने और कथित रूप से इस कारण परिवार के एक सदस्य के आत्महत्या करने के प्रयास को लेकर माहौल को गर्माने की सुनियोजित कोशिश की गयी। बनासकांठा (पालनपुर) ज़िले के दीसा शहर में गत दिनों इसके ख़िलाफ़ कट्टर उग्रवादी दक्षिणपंथियों ने रैली निकाल कर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। चरमपंथियों ने अपने एजेंडे के मुताबिक़ इस घटना को 'लव जिहाद' का नाम देकर हंगामा किया और पुलिस-प्रशासन हमेशा की तरह मूकदर्शक बना रहा। पुलिस अधीक्षक अक्षय राज मकवाना का मीडिया से कहना था कि आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली करने के पांच आरोपियों में से दो को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि बाक़ी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ख़बरों के मुताबिक़ हरेश सोलंकी की पत्नी, बेटे और बेटी ने इस्लाम अपना लिया। जब हरेश ने इसका विरोध किया और उन लोगों को परेशान करने लगा तो वे लोग घर छोड़कर कहीं और रहने चले गये। अकेले होने के कारण हरेश ने अवसाद में आकर ज़हर खाकर जान देने की कोशिश की थी। कुछ ख़बरों में कहा गया कि इस बात के सबूत नहीं है कि उसके परिजनों ने इस्लाम क़बूल किया या ख़ुदकुशी के लिए उसको उकसाया।

आलोचना पर गिरफ़्तारी के बयान पर विवाद

क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की 'अभिव्यक्ति की आज़ादी में कमी' संबंधी बयान के लिए आलोचना की है। रिजिजू ने कहा कि 'अगर यह बयान सच है तो यह उस संस्था की प्रतिष्ठा को कम करता है, जिसकी वे सेवा कर सेवानिवृत्त हुए हैं।' मालूम रहे कि एक अख़बार को दिये इंटरव्यू में जस्टिस (सेवानिवृत्त) श्रीकृष्ण ने कहा था कि आज चीज़ें 'बहुत ही ख़राब' हैं। मैं स्वीकार करता हूं, अगर मैं चौक पर खड़ा होकर कहूं कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद नहीं करता तो कोई आकर मेरे ख़िलाफ़ छापेमारी की कार्रवाई कर सकता है, बिना किसी कारण के मुझे गिरफ़्तार कर जेल में डाल सकता है। यह ऐसा कुछ है, जिसका हम सभी नागरिकों को विरोध करना चाहिए।'



बाद में जस्टिस श्रीकृष्ण ने अपने बयान को स्पष्ट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से कहा :

'मैं उन लोक सेवकों के बारे में बात कर रहा था, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जब तक आलोचना सभ्य है और वह शिष्ट तरीक़े से की जाती है, तब इसे उनके सेवा नियमों के आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी चिंता क़ानून के शासन को लेकर भी है और कैसे सरकार आलोचकों के प्रति प्रतिक्रिया देती है।'

कहानी



नशा



मुंशी प्रेमचन्द

ईश्वरी एक बड़े ज़मींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत-मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं ज़मींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और ख़ून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावत: उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास ज़मींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे-बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद-विवाद की गर्मी-गर्मी में अक्सर तेज़ हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमज़ोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दण्डता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बरदाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता, तो मुझ में भी वहीं कठोरताएं पैदा हो जातीं, जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोकप्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था, लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य-प्रिय था।

अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊँगा। मेरे पास किराये के लिए रुपये न थे और न घरवालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं, वे मुझे जो कुछ देते हैं, वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, उसके साथ ही परीक्षा का ख़्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी न चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का नेवता दिया, तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी ख़ूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है।

उसने इसके साथ ही कहा-लेकिन भाई, एक बात का ख़्याल रखना। वहां अगर ज़मींदारों की निंदा की, तो मुआमिला बिगड़ जाएगा और मेरे घरवालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाय कि ज़मींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है, तो ज़मींदारी का कहीं पता न लगे।

मैंने कहा-तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा?

'हां, मैं तो यही समझता हूं।'

'तुम गलत समझते हो।'

ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित् उसने इस मुआमले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता, तो मैं भी जिद पकड़ लेता।

2

सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। अबकी सेकेंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर-उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट

रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेश-भूषा और रंग-ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन; लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी ग़ुस्ताख़ी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गये। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है, उससे ज्यादा इन ख़ानसामों को इनाम-इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था, जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब-के-सब दौडते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं, तो उतना उत्साह नहीं दिखाते! मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था।

गाड़ी आयी, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वेरी को सलाम किया। मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा- कितने तमीजदार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं।

मैंने खट्टे मन से कहा-इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज़ इनाम दिया करो, तो शायद इनसे ज़्यादा तमीजदार हो जायें।

'तो क्या तुम समझते हो, यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं।'

'जी नहीं, कदापि नहीं! तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है।'

गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा-दूसरा दरजा है-सेकेंड क्लास है।

उस मुसाफ़िर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा- जी हां, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आयी, कह नहीं सकता।

भोर होते-होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। दो भद्र पुरुष थे। पांच बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे-पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था रामहरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे?

रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा- यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं?

ईश्वरी ने जवाब दिया-हां, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यों कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पड़ा हुआ हूं, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अबकी मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इन्कारी-जवाब दिलवा दिये। आख़िरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उसका जवाब इन्कारी ही गया।

दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े।

रियासत अली ने अर्द्धशंका के स्वर में कहा-लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं।

ईश्वरी ने शंका निवारण की- महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब। खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यों कहो कि राजा हैं। ढाई लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है, अभी अनाथालय से पकड़कर आये हैं।

रामहरख बोले-अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है। कोई भांप ही नहीं सकता।

रियासत अली ने समर्थन किया- आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं, एक बार बेगार में पकड़े गये थे और उन्हीं ने दस लाख से कालेज खोल दिया।

मैं मन में कटा जा रहा था; पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक़्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानों मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था।

मैं शहसवार नहीं हूं। हां, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो दो कलां-रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। ख़ैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ-पैर तुड़वाकर लौटता। संभव है, ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है।

3

ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमामबाड़े का-सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिश्योक्ति के साथ। ऐसी हवा बाँधी कि कुछ न पूछिए। नौकर-चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के ज़मींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कान्सटेबिल को अफ़सर

समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुज़ूर-हुज़ूर कहने लगे।

जब ज़रा एकांत हुआ, तो मैंने ईश्वरी से कहा-तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो?

ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा-इन गधों के सामने यही चाल ज़रूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं।

ज़रा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आये हैं, थक गये होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा-पहले कुंवर साहब के पांव दबा।

मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाये हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमरदी और जाने क्या-क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था।

इतने में दस बज गये। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नयी रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पायी थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती ख़ुद छांट लिया करता हूं; मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे। यहां पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिये खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिये। कहार ने उसके पांव धोये। मैंने भी पांव बढ़ा दिये। कहार ने मेरे पांव भी धोये। मेरा वह विचार न जाने कहां चला गया था।

4

सोचा था, वहां देहात में एकाग्र होकर ख़ूब पढ़ेंगे, पर यहां सारा दिन सैर-सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी ख़ूब अंडे मंगवाता और कमरे में 'स्टोव' पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ-पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाज़िर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में ज़रा भी देर न होने पाये, कहीं कुंवर साहब नाराज़ न हो जाएं; बिछावन ठीक समय पर लग जाय, कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाज़ुक दिमाग़ बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाले लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं! उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा।

एक दिन सचमुच यही बात हो गयी। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गयी। यहां दस बज गये। मेरी आंखें नींद से झपक रही थीं, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई साढ़े ग्यारह बजे महरा आया। बड़ा मुंहलगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही न रही। अब जो याद आयी, तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बतायी कि उसने भी याद किया होगा।

ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला-तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामख़ोर इसी व्यवहार के योग्य हैं।

इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गयी, मगर लैम्प मेज पर रखा हुआ था। दियासलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी ख़ुद कभी लैम्प नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार-पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैम्प नदारद। दैवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार बतायी कि बेचारा उल्लू हो गया-तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैम्प तो जलवा दो! मालूम नहीं, ऐसे कामचोर आदमियों का यहां कैसे गुज़र होता है। मेरे यहां घंटे-भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया।

वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था; पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला-सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं न? लोग कहते हैं कि यहां सुराज हो जाएगा तो ज़मींदार न रहेंगे।

मैंने शान जमायी-ज़मींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है? यह लोग ग़रीबों का ख़ून चूसने के सिवा और क्या करते है? ठाकुर ने फिर पूछा-तो क्यों, सरकार, सब ज़मींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी। मैंनें कहा-बहुत-से लोग तो ख़ुशी से दे देंगे। जो लोग ख़ुशी से न देंगे, उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। ज्यों ही स्वराज्य हुआ, अपने इलाक़े असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे।

मैं कुरसी पर पांव लटकाये बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला-आजकल ज़मींदार लोग बड़ा

जुलुम करते हैं सरकार! हमें भी हुज़ूर, अपने इलाक़े में थोड़ी-सी ज़मीन दे दें, तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें।

मैंने कहा-अभी तो मेरा कोई इख़्तियार नहीं है भाई; लेकिन ज्यों ही इख़्तियार मिला, मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊगा। तुम्हें मोटर-ड्राइवरी सिखा कर अपना ड्राइवर बना लूंगा।

सुना, उस दिन ठाकुर ने ख़ूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया।

5

छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम



फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत-से लोग हम लोगों को पहुंचाने आये। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैनें भी अपना पार्ट ख़ूब सफ़ाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था, हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहां थी? वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था; पर गाड़ी आयी तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गापूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी। किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दरजे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आये थे आराम से लेटे-लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी।

कई आदमी पढ़े-लिखे भी थे! वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ़ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले-ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे-बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे, तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया-अरे साहब, आप ख़ुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है।

एक आदमी, जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी। पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार-बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार-बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यों ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना, मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किये बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे ज़ोर-ज़ोर से लगो।

उसनें आंखें निकालकर कहा-क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है! मैंने उठकर दो-तीन तमाचे और जड़ दिये। गाड़ी में तूफ़ान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी।

'अगर इतने नाज़ुक मिज़ाज हो, तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे।'

'कोई बड़ा आदमी होगा, तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता।'

'क्या क़सूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया, तो उस पर इतना क्रोध! अमीर होकर क्या आदमी अपनी इन्सानियत बिल्कुल खो देता है।

'यह भी अंग्रेजी राज है, जिसका आप बखान कर रहे थे।'

एक ग्रामीण बोला-दफ्तरन मां घुसन तो पावत नहीं, उस पर इत्ता मिजाज! ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा-What an idiot you are, Bir! (बीर, तुम कितने मूर्ख हो !) और मेरा नशा अब कुछ-कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।

■■



मनुष्य की अभिलाषा

आख़िरी पन्ना



वहीदुद्दीन ख़ां

मानव एक पूर्ण संसार चाहता है, परन्तु वह अपूर्ण संसार में रहने के लिए विवश है। हमारी प्रसन्नताएं अस्थाई हैं। हमारी प्रत्येक सफलता अपने साथ असफलता का परिणाम लिए हुए है। हम अपनी आशाओं की प्रातः बेला को पूरी तरह से देख भी नहीं पाते कि संध्या उसको घेर लेती है। हमारे जीवन रूपी वृक्ष की हरियाली और बसंत के कुछ वर्ष भी नहीं व्यतीत होने पाते कि दुर्घटना, विपत्तियां, वृद्धावस्था तथा मृत्यु उसे इस प्रकार समाप्त कर देती हैं, जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही न था।

मनुष्य सदैव एक ऐसे जीवन की खोज में रहता है। जिसमें उसको स्थायी तथा असीम आनन्द प्राप्त हो और यह खोज उचित भी है और मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार भी, परन्तु हमारे स्वप्नों का यह जीवन वर्तमान संसार में स्थाई आनन्द की व्यवस्था असम्भव है। यहां वे साधन उपलब्ध ही नहीं हैं, जो स्थायी आनन्द तथा सुखमय संसार को प्रकट करने के लिये आवश्यक हैं।

पुष्प कितने सुन्दर होते हैं, परन्तु पुष्प मात्र इसलिए खिलते हैं कि वह मुरझा जाएं। सूर्य की किरणें कितनी आनन्ददायक हैं, परन्तु सूर्य के प्रकाश के लिए यह बाध्यता है कि वह कुछ देर के लिए चमके और इसके बाद रात्रि की कालिमा इसे ढक ले। एक जीवित व्यक्ति का अस्तित्व कितना चमत्कारी है, किन्तु कोई भी व्यक्ति अपने आपको मृत्यु एवं दुर्घटना से नहीं बचा सकता। संसार के प्रत्येक वस्तु की यही स्थिति है।

यह संसार कल्पना की परिधि तक मोहक एवं अर्थपूर्ण है, परन्तु यहां की प्रत्येक विशेषता नश्वर है। यहां कुछ भी दोषरहित नहीं है, जो किसी प्रकार उससे अलग नहीं होता। जो ईश्वर स्वयं पूर्ण हो, वह एक ऐसी सृष्टि से संतुष्ट नहीं हो सकता, जो अपूर्ण हो। पूर्ण का अपूर्ण पर सन्तुष्ट हो जाना सम्भव नहीं है। यही इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान संसार ही अन्तिम नहीं है। यह ज़रूरी है कि इसके बाद एक और संसार हो जहां वर्तमान संसार की कमियों की पूर्ति हो।

संसार के सम्बंध से यह मालूम हो

चुका है कि यह नश्वर है। एक अनादि स्रष्टा ही एक आदि सृष्टि को जन्म दे सकता है, यदि ईश्वर सार्वकालिक न हो तो वह सृष्टि कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती, जो सार्वकालिक नहीं है। वास्तविकता यह है कि नश्वर सृष्टि को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक अविनाशी स्रष्टा को स्वीकार करें। नश्वर सृष्टि का अस्तित्व यह प्रमाणित करता है कि एक अनश्वर स्रष्टा मौजूद है, यदि स्रष्टा अनादि न होता तो वह सिरे से मौजूद ही न होता और जब स्रष्टा का अस्तित्व न होता तो सृष्टि का अस्तित्व संभव ही न होता।

स्रष्टा सार्वकालिक सदैव से था, इसलिए उसने अल्पकालिक को जन्म दिया, यदि वह सार्वकालिक न होता तो वह सिरे से मौजूद ही न होता तो फिर अल्पकालिक का अस्तित्व कहां से आता। ईश्वर अविनाशी है, अतः वह एक पूर्ण अस्तित्व है, क्योंकि अविनाशी होना पूर्णता का सर्वोच्च गुण है। जो अविनाशी होगा वह पूर्ण भी होगा। अविनाशिता एवं पूर्णता अभिन्न हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।

संसार ईश्वरीय गुणों का एक रूप है परन्तु संसार की अपूर्णता एवं सीमितता यह बताती है कि यह वर्तमान संसार ईश्वर के गुणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन नहीं है। पूर्ण एवं अनन्त ईश्वर के गुणों का प्रदर्शन वही है जो स्वयं भी पूर्ण एवं अनन्त हो। वास्तविकता यह है कि हमारी दुनिया को अभी एक और दुनिया की प्रतीक्षा है। ईश्वर के गुणों का यह रूप अपनी पूर्णता प्रकट करने के लिए अभी एक और प्रदर्शन की मांग करता है।

स्वर्ग-ईश्वर का वह संसार है, जहां उसके गुणों का प्रदर्शन अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वर्ग उन सभी दोषों से मुक्त होगा, जिनकी हम वर्तमान संसार में अनुभूति करते हैं। स्वर्ग ईश्वर की उस पूर्ण सामर्थ्य की प्रस्तुति है, जो सौन्दर्य में स्थायित्व की विशेषता पैदा कर सकता है। वह आनन्द को असीमित बनाने का अधिकार रखता है। वह ऐसे संसार को जन्म दे सकता है, जहां अपार शांति हो तथा जिसका सुख स्थायी हो।

प्रत्येक व्यक्ति एक अदृश्य शान्ति की खोज में है। वह एक ऐसे पूर्ण संसार का इच्छुक है। जिसको वह अभी तक नहीं प्राप्त कर सका। जिस सृष्टि का स्रष्टा स्वयं अनादि एवं सार्वकालिक हो, वह अपने गुणों के अस्थायी तथा अल्पकालिक प्रदर्शन पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। जिस ईश्वर ने नास्ति को अस्ति में परिवर्तित किया, वह वास्तव में उस अस्तित्व में स्थायित्व की विशेषता उत्पन्न कर सकता है, और निश्चय ही दूसरा कार्य पहले कार्य की अपेक्षा कुछ कठिन नहीं है। शाश्वतता एक मुख्य ईश्वरीय गुण है फिर इस गुण में उसका कोई भागीदार नहीं है। यह एक उत्कृष्ट गुण है, जो मात्र एक ईश्वर के लिए ही सम्भव है। मानव सदैव एक ऐसे जीवन की खोज में रहता है, जिसमें उसको स्थायी तथा असीम आनन्द प्राप्त हो और यह खोज उचित भी है और मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार भी, परन्तु हमारे स्वप्नों का यह जीवन वर्तमान संसार में स्थाई आनन्द की व्यवस्था असम्भव है। यहां वे साधन उपलब्ध ही नहीं हैं, जो स्थायी आनन्द तथा सुखमय संसार को प्रकट करने के लिए आवश्यक हैं।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने बताया कि संसार को ईश्वर ने परीक्षा स्थल बनाया है, न कि पुरस्कार प्राप्ति का स्थान। यहां मात्र वे साधन एकत्र किए गए हैं, जो व्यक्ति की परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। सुखपूर्ण तथा आनन्दमय स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, वे पारलौकिक जीवन में उपलब्ध होंगे। जो इस संसार के पश्चात हमारे समक्ष उपस्थित होने वाला है। हमारे और उस आगामी संसार के मध्य मृत्यु तक का फ़ासला है।



मृत्यु व्यक्ति की परीक्षा की समाप्ति का समय है और उसी के साथ स्थायी संसार में प्रवेश का द्वार भी। मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह इस संसार में होने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करे। वह ईशदूत के आदर्शों का अनुपालन करे तथा अपना स्वेच्छाचारी जीवन ईश्वरीय आदेशों के समक्ष समर्पित कर दे। जो लोग इस संसार की परीक्षा में सफल होंगे, अगले जीवन में मनचाहा संसार प्राप्त करेंगे। ■■

Citymaker

BUILDERS PVT.LTD

55, Maruti Lane, Near Handloom House,
Fort, Mumbai-400 001, Ph. : 22661438, 22675328

KANTI Monthly, New Delhi
OCTOBER 2022
Posted on 20-21 September 2022
Published on 18 September 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

HOTEL
SHAGUN
VEG & NON VEG
Mob.: 9822120078
Ph.: 2738408
Old Station Road, Opp. Kamat Milan Lodge,
Margao-Goa.

Shagun Caterers
Mob.: 9822120078
0832-2738408
VEG & NON VEG.
HOTEL SHAGUN OPP. KAMAT MILAN LODGE, OLD STATION ROAD, MARGAO - GOA